आंगनवाड़ी महिला विशेषांक

कामकाजी महिला

वर्ष 1 अंक 5 जून, 1989 मूल्य : एक रुपया

वेतनवृद्धि तथा सरकारी कर्मचारी की मान्यता दिये जाने की मांगों के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का 24 अप्रैल, 1989 को बोट क्लब पर प्रदर्शन ।

मई दिवस के अवसर पर महिलाओं को बधाई

बी. टी. रणदिवे, अध्यक्ष, सीटू

मई दिवस के अवसर पर सीटू देशभर की कामकाजी महिलाओं को बधाई देती है। पिछले मई दिवस के बाद बीते इस वर्ष ने अपने अधिकारों के लिए कामकाजी महिलाओं के अनेकों संघर्ष देखे हैं। ट्रेड यूनियनों द्वारा बहुत हद तक अब भी उपेक्षित ये कामकाजी महिलाएं समान वेतन, समान अवसर और भेद-भाव पूर्ण बर्ताव की समाप्ति की अपनी मांगों को लेकर खुद आगे आने लगी हैं। नर्सें, विमान परिचारिकाएं, स्कूल टीचर, सेवारत महिलाएं और अब आंगनवाड़ी महिलाएं अपने संगठनों को मजबूती से आगे ले जाने लगी हैं और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए भी जागरूक हो रही हैं। कई सीटू यूनियनों ने काम काजी महिलाओं की समस्याओं को लेकर उनके संगठनों को आगे बढ़ाने में पहल की है। सीटू अपनी तमाम ट्रेड यूनियनों का आह्वान करती है कि वे महिलाओं की समस्याओं पर अधिक ध्यान दें। सीटू, कामकाजी महिलाओं उनके संगठनों एंव उनके संघर्षों की सफलता की कामना करती है।

इस अंक में

मई दिवस के अवसर पर	2
आंगनवाड़ी कर्मचारियों की अखिल भारतीय कन्वेन्शन की रिपोर्ट	2
प्रधानमंत्री ने आंगनवाड़ी मज़दूरिनों की मांगें ठुकरायीं	7
आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों के कार्य और सेवा परिस्थितियों पर विभिन्न राज्यों की रिपोर्ट	8
डब्ल्यू० एफ० टी० यू० की अपील	22
समाज कल्याण केन्द्रों की कामगार महिलाओं का संघर्ष	23
ग्रामीण महिलाओं को भरमाने की कांग्रेस (ई) की चाल	24

10 जुलाई को मांग दिवस मनायें

आंगनवाड़ी कर्मचारियों के अखिल भारतीय सम्मेलन में लिए गए फैसले के मुताबिक अपनी मांगों को लेकर दस जुलाई को मांग दिवस मनाएं। आंगनवाड़ी-कर्मचारी इस मौके पर प्रदर्शनों, धरनों, विरोध बैठकों का आयोजन करें तथा संबंधित अधिकारियों तक अपने प्रतिनिधियों को भेजें।

हमारी मुख्य मांगें हैं :

1. आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 600 रु०, सहायकों को 400 रु० प्रतिमाह वेतन दिया जाए तथा उनसे चार घंटे काम लिया जाए।
2. आंगनवाड़ी महिलाओं को कम-से-कम दो बच्चों तक तीन महीने का मातृत्व लाभ अवकाश दिया जाए।
3. आंगनवाड़ी कर्मचारी को केन्द्र सरकार के कर्मचारी के बराबर का दर्जा दिया जाए।
4. पलनागार की व्यवस्था की जाए।
5. परियोजना समिति में यूनियन के एक प्रतिनिधि को शामिल किया जाए।

"एकता हमारी शक्ति है। हम अपनी माँगों को ले के रहेंगे।"

सीटू के अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति के लिए विमला रणदिवे की ओर से 6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001, (फोन नं० 384071) से सम्पादित और प्रकाशित तथा प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, 21-ए झिलमिल इंडस्ट्रीयल एरिया, शाहदरा, दिल्ली में मुद्रित।

आंगनवाड़ी सेविकाओं तथा सहायकों की अखिल भारतीय कन्वेंशन की मांग

आंगनवाड़ी सेविकाओं को सरकारी कर्मचारियों के रूप में नियमित करो

दिल्ली में 22-23 अप्रैल को देश-भर से 500 महिलाएं इकट्ठी हुई। आंगनवाड़ी सेविकाओं के लिए यह एक अनोखा अनुभव था जो 15 राज्यों से अपनी कन्वेंशन के लिए दिल्ली पहुंची थीं। इनमें सिर्फ सीटू से संबद्ध आंगनवाड़ी सेविकाएं ही नहीं थीं, बल्कि अनेक तो किसी संगठन से जुड़ी हुई नहीं थीं, या फिर सीटू के अलावा अन्य संगठनों से जुड़ी हुई थीं। ये महिलाएं समाज के सबसे वंचित तथा शोषित हिस्सों में हैं, जिन्हें 250 से 300 रु० महीना तक वेतन मिलता है। सहायकों के लिए तो यह प्रतिमाह 110 रु० हैं। जाहिर है कि ये कमेरिनें, इन हालात को बदलने के निश्चय के साथ कन्वेंशन में हिस्सा लेने आयीं थीं।

सीटू अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे ने कन्वेंशन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इन महिलाओं को सरकार ने नियमित कर्मचारियों का दर्जा नहीं दिया है और उन्हें एक मानदेय राशि पर काम करते हुए दिखाया जाता है। सीटू अध्यक्ष ने कहा कि आज महिलाओं में एक नयी जागरुकता पैदा हुई है और इन महिलाओं को संगठित किये जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इन महिलाओं को दयनीय स्थितियों में काम करना पड़ रहा है फिर भी, सरकार ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया है। सरकार महिलाओं के लिए बहुत कुछ करने का प्रचार तो खूब करती है लेकिन उसे इन महिला कर्मचारियों को नियमित करने की मांग तक मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि इन महिलाओं पर काम का भारी बोझ है। सीटू अध्यक्ष ने सलाह दी कि कन्वेंशन की बहस के आधार पर आँगनवाड़ी सेविकाओं तथा सहायकों का एक अखिल भारतीय संगठन बनाने का प्रस्ताव स्वीकार किया जाना चाहिए।

बी. टी. आर. ने कहा कि बढ़ती आर्थिक बदहाली के कारण महिलाओं को लगातार बढ़ती तादाद में काम के लिए सामने आना पड़ रहा है। वे चाहती हैं कि एक अधिकार के रूप में उन्हें काम मिले। आजादी के चालीस साल बाद भी देश में सती प्रथा बनी हुई। दहेज हत्यायें हो रही हैं। बेशक प्रगतिशील कानून बनाये गये हैं, लेकिन उन्हें लागू नहीं किया जाता है। राजस्थान में नारी शिशुओं की हत्याओं के मामले सामने आये हैं। सीटू अध्यक्ष ने आह्वान किया कि अब, जब आम चुनाव नजदीक आ रहे हैं महिलाओं को कांग्रेस सरकार की नीतियों को शिकस्त देने के लिए चुनाव में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करनी चाहिए।

इस कन्वेंशन को पन्द्रह राज्यों में आंगनवाड़ी सेविकाओं से मिले अभूतपूर्व समर्थन से, कम मजदूरी, सी. डी. पी. ओ. के भ्रष्टाचार, दूसरों के बच्चों की देखभाल करते हुए खुद अपने बच्चों की देखभाल न कर पाने, अनेक स्थानों में मातृत्व लाभ तथा छुट्टियों तक की सहूलियतें हासिल न होने, पुरुष सरकारी कर्मचारियों द्वारा यौन उत्पीड़न आदि की उनकी हृदयविदारक कहानियों से, कांग्रेसी निजाम तथा महिलाओं के विकास की उसकी बहुप्रचारित चिंता के बारे में अनेक सवाल उठ खड़े होते हैं। महिला प्रतिनिधियों द्वारा उठाया गया मुख्य सवाल यह था कि सी. डी. पी. ओ. तथा सुपरवाइजरों की तरह उन्हें भी केन्द्र सरकार के मातहत कर्मचारियों का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता और क्यों उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान वेतनमान नहीं दिये जाते? आंध्र से एक प्रतिनिधि ने सही ही कहा कि, "जब हम 600 रु० महीना की माँग करते हैं, तो सरकार का जवाब होता है कि तुम तो 'समाज सेविका' हो तुम्हें ऐसी चीजें मांगने का क्या हक है…।"

सीटू ने कामगार महिलाओं का सवाल उठाया है और इसी क्रम में उसने आंगनवाड़ी सेविकाओं की कन्वेंशन आयोजित की जिसे जबर्दस्त समर्थन हासिल हुआ। पश्चिम बंगाल तथा केरल से तो क्रमशः 140 तथा 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया ही, इसके अलावा हरियाणा जैसे राज्य से भी 60 प्रतिनिधियों ने कन्वेंशन में हिस्सा लिया जबकि तमिलनाडु तथा पांडिचेरी से 12, महाराष्ट्र से 22 और

राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार से पांच-पांच प्रतिनिधियों ने कन्वेंशन में हिस्सा लिया। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश से तीन-तीन प्रतिनिधियों ने शिरकत की।

निरुपमा चैटर्जी (प० बंगाल), जोंसलिस रोज (केरल), रामपुकारी देवी (बिहार) तथा अहिल्या रांगणेकर (महाराष्ट्र) के चार सदस्यीय अध्यक्षमंडल ने कन्वेंशन की अध्यक्षता की। अहिल्या रांगणेकर ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया।

कन्वेंशन की मुख्य रिपोर्ट विमल रणदिवे ने प्रस्तुत की। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि क्यों इन महिलाओं पर 'समाज सेविका' का दर्जा थोप दिया गया है और उन्हें वेतन की जगह पर कथित मानदेय राशि ही दी जा रही है। आज के हालात में क्यों कोई भी व्यक्ति 110 रु० पर काम करने के लिए तैयार होगा? उन्होंने याद दिलाया कि यह मानदेय राशि 350 रु० किये जाने के केंद्र सरकार के सर्कुलर के बावजूद, पश्चिम बंगाल तथा केरल को छोड़कर, जहां जनतांत्रिक आंदोलन मजबूत है तथा जहां वामपंथी नेतृत्व वाली सरकारें हैं, शेष राज्यों में इन महिला कामगारों को इस मामूली-सी राशि से भी वंचित रखा जा रहा है। इसलिए कन्वेंशन की मुख्य मांग यह होनी चाहिए कि इन लाखों कामगार महिलाओं को सरकारी कर्मचारियों के तौर पर मान्यता दी जाय और जब तक ऐसा नहीं हो जाता है, आंगनवाड़ी सेविकाओं को 600 रु० महीना और सहायकों को चार घंटे के काम के लिए 400 रु० महीना दिया जाय। उन्होंने बताया कि अखिल भारतीय स्तर पर एक सुचारु संगठन के बिना कोई आंदोलन सफल नहीं हो सकता है इसलिए, राज्यों से यह मांग आयी है कि विभिन्न यूनियनों को मिलाकर एक फेडरेशन का गठन किया जाय।

रिपोर्ट पर हुई बहस में विभिन्न राज्यों से कुल मिलाकर 35 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। आम तौर पर सभी प्रतिनिधियों ने एक अखिल भारतीय संगठन की जरूरत पर जोर दिया और वेतन में बढोतरी तथा केंद्र सरकार कर्मचारियों के दर्जे की मांग की।

केरल की गिरजा पोटी ने बताया कि केरल में आंगनवाड़ी सेविकायें 350 रु० वेतन, मातृत्व लाभ और यात्रा भत्ता हासिल कर पायी हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में उनके संगठन की सदस्यता 13,000 है और उन्हें **ओणम** उत्सव का बोनस भी मिलता है। इसी प्रकार प० बंगाल में संगठन की महासचिव नीलिमा मैत्र ने बताया कि वहां कांग्रेसी राज में आंगनवाड़ी सेविकाओं को 50 रु. तथा सहायकों को 30 रु. महीना मिल रहा था जो अब बढ़ाकर क्रमशः 350 रु. तथा 110 रु. कर दिया गया है और 5 साल के अनुभव के लिए 25 रु. तथा दस साल के अनुभव के लिए 50 रु. वेतनवृद्धि दी जा रही है। इस पद पर काम करनेवाली ग्रेजुएट महिलाओं के लिए सुपरवाइजर पद पर पदोन्नति की व्यवस्था रखी गयी है। जिस पद पर उन्हें सरकारी वेतन तथा दूसरी सभी सुविधाएं मिलती हैं।

पश्चिम बंगाल तथा केरल में इन उपलब्धियों के विपरीत, तमिलनाडु तथा हिमाचल प्रदेश जैसे दूसरे राज्य हैं जहां आंगनवाड़ी में काम करने के लिए ही इन महिलाओं को सी. डी. पी. ओ. में 300 से 600 रुपये तक रिश्वत देनी पड़ती है। पंजाब की समिंदर कौर ने इस योजना में व्याप्त भारी भ्रष्टाचार के बारे में बताया कि किस प्रकार बच्चों के नाम पर आने वाला चबैना सी. डी. पी. ओ. के घर पहुंचा दिया जाता है। उन्होंने बताया कि राज्य के लगभग सभी जिलों में संगठन मौजूद है। फिर भी मातृत्व अवकाश लेने पर आंगनवाड़ी सेविका को अपनी ऐवजी में अस्थायी तौर पर लगायी गयी महिला का वेतन अपने पास से देना पड़ता है। दूसरी ओर अनेक प्रतिनिधियों ने भी, इस योजना में अकथनीय भ्रष्टाचार तथा घोटालों की दास्तानें सुनायीं जिनसे आइ. सी. डी. एस योजना के फर्जीपन का पता चलता है। जिसके बारे में राजीव गांधी तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा यह दावा किया जाता है कि यह सारी दुनिया में महिलाओं के विकास की अपनी तरह की एकमात्र योजना है। अन्य लोगों के अलावा पी. जानकी देवी (आंध्र), सीता देवी (हरियाणा), माला शर्मा (बिहार), संयुक्ता राम (पंजाब), डी. एस. वैद्य तथा लता भिशे (महाराष्ट्र), लक्ष्मी तथा लीलावती (कर्नाटक), बंटी ठाकुर (हिमाचल प्रदेश), संध्या शैली (मध्य प्रदेश), मीनाक्षी (पश्चिम बंगाल), राजेश्वरी (तमिलनाडु), नीना राव (दिल्ली) और पी. शशिकला (पांडिचेरी आदि ने भी कन्वेंशन की बहस में हिस्सा लिया।

कनक मुखर्जी ने प्रतिनिधियों को शुभकामनायें देते

हुए कहा कि, आंगनवाड़ी में काम करने वाली 3 लाख महिलाओं को कोई खास लाभ नहीं है। उनके साथ असंगठित मजदूरों जैसा वर्ताव किया जाता है और उन्हें नाम दिया गया है समाज सेविकाओं का। उन्होंने आंगनवाड़ी सेविकाओं से संगठित होने की अपील की ताकि वे अपनी मांगें जीत सकें।

रिपोर्ट पर बहस के बाद संचालन समिति की बैठक में मांगपत्र पर प्रस्ताव तैयार किया और अखिल भारतीय फेडरेशन के गठन पर विचार किया गया।

विमल रणदिवे ने बहस के दौरान कुछ प्रतिनिधियों द्वारा उठाये गये प्रश्नों के जवाब दिये। पश्चिम बंगाल में आइ. सी. डी. एस. के पदाधिकारियों में एक, भवतोष राय ने कन्वेंशन का मुख्य प्रस्ताव रखा और उसके मुख्य सूत्रीकरण के महत्त्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी सेविकाओं तथा सहायकों के केंद्र सरकार कर्मचारियों के रूप में मान्यता दिये जाने की मांग पर जोर दिया जाना चाहिए। एक और महत्त्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी ट्रेड यूनियन से संबद्ध, आंगनवाड़ी सेविकाओं की यूनियन इस फेडरेशन में शामिल हो सकेगी ताकि सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायकों के संयुक्त आंदोलन का निर्माण किया जा सके। तीसरे, यह तय पाया गया कि 1990 में मार्च तक किसी समय एक अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाया जाय। इसी बीच यूनियनों को कन्वेंशन में पारित मांगपत्र के आधार पर राज्य स्तर पर संगठन के निर्माण के लिए काम जारी रखना चाहिए।

कन्वेंशन द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव में तमाम आंगनवाड़ी सेविकाओं तथा सहायकों की कार्रवाई की योजना भी पेश की गयी है और दस जुलाई को प्रदर्शनों, धरनों, विरोध सभाओं आदि के जरिए सभी राज्यों में मांग दिवस मनाने का आह्वान किया गया है। प्रतिनिधियों ने कार्रवाई के इस कार्यक्रम पर विचार किया और सभी ने इसका स्वागत किया। कन्वेंशन ने एक 25 सदस्यीय संगठन कमेटी का भी गठन किया जिसमें सभी राज्यों के प्रतिनिधियों को रखा गया है। विमल रणदिवे को इस कमेटी का संयोजक नियुक्त किया गया है।

सुरिंदर कौर, अहिल्या रांगणेकर, निरुपमा चैटर्जी, राम पुकारी देवी तथा जोन्सेलिस रोज ने प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और आंगनवाड़ी फेडरेशन जिंदाबाद के नारों के साथ प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

दिल्ली कमेटी की सचिव रंजना निरुला ने कन्वेंशन में शानदार योगदान के लिए प्रतिनिधियों का स्वागत किया और अपनी मांगें जीतने के लिए शानदार आंदोलन छेड़ने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल के एक महिला नाट्य ग्रुप द्वारा एक नाटक प्रस्तुत किये जाने के साथ कन्वेंशन का समापन हुआ।

24 जुलाई को दोपहर में, विंडसर प्लेस से आंगनवाड़ी सेविकाओं तथा सहायकों का जुलूस निकला जो बोट क्लब पर पहुंचकर आम सभा में तब्दील हो गया। बोट क्लब पर अनेक वक्ताओं ने आंगनवाड़ी महिलाओं को संबोधित करते हुए उन्हें संघर्ष आगे ले जाने के लिरे शुभकामनाएं दीं। सभा को अहिल्या रांगणेकर, बाल मोहन, बृन्दा कारात, पुन्यावती, भानुमती, सुरिंदर कौर, और विमल रणदिवे ने संबोधित किया। □

प्रस्ताव

विभिन्न राज्यों से आये प्रतिनिधियों के विचार सुनने के बाद तथा एक अखिल भारतीय संगठन के निर्माण से उनकी आंतरिक भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए, 22 व 23 अप्रैल 1989 को नई दिल्ली स्थित हिमाचल भवन में आयोजित आंगनवाड़ी सेविकाओं तथा सहायकों का यह अखिल भारतीय सम्मेलन सर्वसम्मति से यह फैसला लेता है कि :

1. आई सी डी एस प्रोजेक्ट में कार्यरत आंगनवाड़ी सेविकाओं तथा सहायकों की एक अखिल भारतीय फेडरेशन का जल्द से जल्द गठन किया जाय। देश के कोने-कोने में आंगनवाड़ियों में लाखों महिलाएं कार्यरत हैं जो शोषण और अकथनीय परेशानियों के शिकार बने हुए हैं।
2. इस अखिल भारतीय फेडरेशन से आइ०सी०डी०एस० कर्मचारियों के सभी राज्यस्तरीय संगठन चाहे उनकी

ट्रेड यूनियन सम्बद्धता कुछ भी हो, सम्बद्ध हो सकते हैं।

3. निम्नलिखित मांगों को आइ० सी० डी० एस० कर्मचारियों की अखिल भारतीय मांगों के रूप में स्वीकार किया जाय तथा प्रोजेक्ट/जिला स्तर या राज्य स्तर पर अपने सांगठनिक शक्ति एवं राज्य संगठनों के सुविधानुसार प्रदर्शनों, धरनों, विरोध सभाओं आदि के जरिए 10 जुलाई 1989 को 'आइ० सी०डी० एस० कर्मचारियों का अखिल भारतीय मांग दिवस' मनाया जाय।

माँगें

1. आंगनवाड़ी सेविकाओं तथा सहायकों को पूर्णकालिक केन्द्र सरकार कर्मचारी के रूप में मान्यता दी जाय। तब तक के लिए इन दोनों के काम के घंटों को चार घंटे तक ही सीमित रखा जाय। सेविकाओं के लिए मानदेय राशि 600 रु० और सहायकों के लिए 400 रु० प्रति माह की जाय और शैक्षिक योग्यता के आधार पर सेविकाओं के मानदेय राशि में कोई भेदभाव नहीं किया जाय।

2. आंगनवाड़ी सेविकाओं तथा सहायकों, दोनों के लिए शैक्षिक योग्यता और अनुभव के आधार पर पदोन्नति के अवसर हों।

3. कम-से-कम दो बच्चों तक तीन महीने के वेतन के साथ मातृत्व लाभ अवकास की सुविधा दी जाय।

4. छुट्टियां केन्द्र सरकार के नियमों के मुताबिक मिलनी चाहिएं।

5. सरकार द्वारा घोषित सार्वजनिक छुट्टियां और रविवारीय छुट्टी सेविकाओं और सहायकों के लिए भी हों।

6. केन्द्र सरकार कर्मचारियों को दिये जाने वाले त्योहार बोनस की राशि आंगनवाड़ी सेविकाओं तथा सहायकों को भी मिलनी चाहिए।

7. स्टाइपेंड सहित प्रशिक्षण की सुविधाएं अनिवार्य रूप से लागू हों।

8. 3 कि० मी० से अधिक दूरी पर कार्यस्थल तक पहुंचने के लिए यातायात भत्ता का प्रावधान हो।

9. ईंधन, चावल तथा अनाज सरकार द्वारा मुहैया कराया जाना चाहिए तथा केन्द्र के निर्माण के लिए जमीन और पैसे की व्यवस्था भी सरकार करे एवं केन्द्र के निकट ही पलनाघरों का भी प्रावधान किया जाय।

10. दूर दराज स्थानों पर अचानक तबादले किये जाने पर आवास व्यवस्था का भी प्रावधान हो।

11. अफसरों द्वारा दुर्व्यवहार और छेड़खानी बंद हों।

12. प्रोजेक्ट कमेटी में यूनियन के एक प्रतिनिधि को शामिल किया जाना चाहिए।

13. अखिल भारतीय फेडरेशन के निर्माण की प्रक्रिया को गति देने के लिए विमल रणदिवे को संयोजक बनाकर तथा विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों को शामिल कर एक तैयारी समिति भी बनाई जा रही है।

तैयारी समिति को यह अधिकार होगा कि जिन राज्यों से इस सम्मेलन में प्रतिनिधि नहीं आ सके या तैयारी समिति के लिए प्रतिनिधि का नाम नहीं दे सके उन राज्यों से प्रतिनिधि नामजद करें।

14. तैयारी समिति, अखिल भारतीय फेडरेशन के निर्माण सम्बन्धी तमाम तैयारी 1990 में मार्च तक पूरा कर लेगी जब अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाकर औपचारिक रूप से फेडरेशन की स्थापना और घोषणा की जायेगी।

15. जिन राज्यों में अब तक राज्यस्तरीय संगठन नहीं बनाया गया है वहां जल्द-से-जल्द संगठन का निर्माण कर लिया जाय ताकि अगले सर्वभारतीय सम्मेलन में राज्य का प्रतिनिधित्व कर सके।

प्रधानमंत्री ने आंगनवाड़ी मजदूरिनों की मांगें ठुकरायीं

प्रधानमंत्री ने आंगनवाड़ी मजदूरिनों तथा सहायकों की मुख्य मांगें सीधे-सीधे ठुकरा दीं। आंगनवाड़ी वर्कर्स एण्ड हेल्पर्स फेडरेशन की तैयारी समिति की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल ने 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन दिया। सांसदगण ई. बालानंदन, कनक मुखर्जी तथा विभाघोष के अलावा, सीटू सचिव विमल रणदिवे, श्रीमती सुरेंद्र कौर (पंजाब), भानुमति (केरल), सीता देवी (हरियाणा), नीलिमा मैत्र (पश्चिम बंगाल), रामपुकारी देवी (बिहार), के जानकीदेवी (आंध्र), राजेश्वरी (तमिलनाडु) तथा श्री दईबड़े (महाराष्ट्र) ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री को दिये गये ज्ञापन में अन्य मांगों के अलावा, आंगनवाड़ी कर्मचारियों के रूप में मान्यता देने और जब तक ऐसा नहीं हो जाता है, आंगनवाड़ी वर्करों की मजदूरी बढ़ाकर 600 रु० महीना और सहायकों की मजदूरी 400 रु० महीना करने की मांग की गयी थी।

राजीव गांधी ने आंगनवाड़ी मजदूरिनों की मजदूरी बढ़ाने में साफ तौर पर असमर्थता व्यक्त की, क्योंकि उनका कहना था कि आंगनवाड़ी वर्करों की संख्या लाखों में है और मजदूरी बढ़ाने के लिए उनकी संख्या घटानी पड़ेगी! जब प्रधानमंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर खींचा गया कि केंद्र सरकार की ओर से एक सर्कुलर भेजा गया था, जिसमें आंगनवाड़ी वर्करों को एकमुश्त 325 रु० महीना देने की बात थी और इस सर्कुलर का पश्चिम बंगाल तथा केरल को छोड़कर दूसरे किसी भी राज्य में पालन नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री ने ऐसे किसी सर्कुलर के बारे में ही अपनी पूर्ण अनभिज्ञता प्रकट की।

सुरिंदर कौर ने आइ० सी० डी० एस० कार्यक्रम में व्याप्त घोर भ्रष्टाचार की ओर ध्यान खींचा और उदाहरण देकर बताया कि किस प्रकार बच्चों के लिए आनेवाला चबैना सी० डी० पी० ओ० के लोग उड़ा लेते हैं और इन सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की जाती है। प्रधानमंत्री ने उनसे अपनी शिकायत सचिव के पास दर्ज कराने के लिए कहा, ताकि कार्रवाई हो सके। नीलिमा मैत्र ने सवाल उठाया कि जब यह योजना स्त्रियों तथा बच्चों के लिए ही है, सरकार को आंगनवाड़ी वर्करों को नियमित करने तथा उनके वेतन बढ़ाने से क्या चीज रोकती है? राजीव गांधी का जवाब था कि इस योजना के लिए पर्याप्त फंड नहीं है और इसलिए आंगनवाड़ी मजदूरिनों को इस समय जो कुछ भी मिल रहा है, उसी से संतुष्ट होना चाहिए।

राजीव गांधी ने आंगनवाड़ी मजदूरिनों की मजदूरी बढ़ाने में साफ तौर पर असमर्थता व्यक्त की, क्योंकि उनका कहना था कि आंगनवाड़ी वर्करों की संख्या लाखों में है और मजदूरी बढ़ाने के लिए उनकी संख्या घटानी पड़ेगी!

इस तरह प्रधानमंत्री ने आंगनवाड़ी मजदूरिनों की मांगें सीधे-सीधे ठुकरा दीं और उनके काम की शर्तें सुधारने से इनकार कर दिया। एक ओर आंगनवाड़ी वर्ककरों से रूप में काम करने वाली महिलाओं के प्रति यह रवैया है और दूसरी ओर प्रधानमंत्री का महिलाओं की स्थिति सुधारने की चिंता का आये दिन किया जाने वाला दावा। साफ है कि महिलाओं के हितों की चिंता का स्वांग, उनके वोट हथियाने के लिए ही भरा जा रहा है। बहरहाल, आंगनवाड़ी कर्मचारियों की ठोस मांगों के प्रति इस रवैये से राजीव सरकार का शर्मनाक रवैया खुलकर सामने आ जाता है।

प्रतिनिधिमंडल ज्ञापन देने के बाद रोष के साथ वापस आ गया और उसने प्रधानमंत्री से हुई मुलाकात के बारे में आंगनवाड़ी वर्करों को बताया। आंगनवाड़ी वर्करों ने अपना आंदोलन और तेज करने का निश्चय किया है, ताकि सरकार को मांगे मानने पर मजबूर किया जा सके। □

आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों के कार्य और सेवा स्थितियों पर रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश

समन्वित बाल-विकास परियोजना (इन्टिग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम) के अन्तर्गत उत्तर-प्रदेश में सर्व-प्रथम सन् 1975 में काम शुरु किया गया। सन् 1975 में प्रयोग के तौर पर सिर्फ तीन जिलों में यह योजना लागू की गई। सन् 1987-88 में अब प्रदेश में 201 परियोजनायें चल रही है और 40 और इसी वर्ष चलाए जाने की योजना है।

परियोजनाओं का ढांचा

इस परियोजना के अन्तर्गत सबसे निचले स्तर पर गांवों में कार्यकत्रियों और सहायिकायें नियुक्त हैं जिनको प्रदेश सरकार के कर्मचारी के तौर पर नहीं नियुक्त किया जाता।

सामान्य रूप से एक लाख की आबादी पर एक परियोजना (प्रोजेक्ट) की स्थापना की गई है। और हर एक परियोजना में एक हजार कार्यकत्रियां (वर्कर्श) नियुक्त की जाती हैं और इतनी ही आंगनवाड़ी सहायिका (हेल्पर) की नियुक्ति की जाती है। आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों में 50 प्रतिशत हाईस्कूल पास और शेष 50 प्रतिशत जूनियर हाईस्कूल पास नियुक्त की जाती हैं। इस वक्त प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों के कुल 16839 पद हैं और सहायिकाओं के भी इतने ही पद हैं।

परियोजना (प्रोजेक्ट) स्तर पर एक बाल विकास परियोजना अधिकारी, एक मुख्य सेविका, एक वरिष्ठ सहायक (सीनियर असिस्टेंन्ट), सीनियर क्लर्क, टाइपिस्ट और एक ड्राइवर नियुक्त है; ये सभी उत्तरप्रदेश सरकार के कर्मचारी है और सरकारी पद और वेतनमान तथा अन्य सभी सुविधायें उन्हें प्राप्त होती हैं। जो सरकारी कर्मचारियों को प्राप्त हैं।

जिला स्तर

जिला स्तर पर एक प्रोग्राम आफीसर, एक अन्वेषक एक संगणक (कम्प्यूटर) सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क और अन्य स्टाफ के लोग नियुक्त हैं, जो सभी प्रदेश सरकार के कर्मचारी और अधिकारी हैं। जिला स्तर पर ऐसे कुल 10 पद हैं।

राज्य स्तर

राज्य स्तर पर एक निदेशालय (डाइरेक्टरेट) का गठन किया गया है जिनका उच्चस्तरीय अधिकारी अतिरिक्त निदेशक (ऐडीसनल डाइरेक्टर) होता है जो एक आई. ए. एस. अधिकारी होता है। जिसे अपने ग्रेड के अतिरिक्त 250/- प्रतिमाह विशेष वेतन के रूप में दिया जाता है। एक पी. सी. एस. अधिकारी संयुक्त निदेशक (ज्वाइन्ट डाइरेक्टर) के पद पर नियुक्त है। इस अधिकारी को अपने वेतन के अतिरिक्त 150/- प्रतिमाह विशेष वेतन दिया जाता है। इसके बाद एक सहायक निदेशक कार्यालय अधीक्षक व अन्य आफिस के कर्मचारी हैं। स्पष्ट है ये सभी प्रदेश सरकार के अधिकारी और कर्मचारी हैं। और सरकारी कर्मचारियों को प्राप्त सभी सुविधायें उन्हें प्राप्त हैं।

इसके अतिरिक्त सचिवालय (सेक्रेटेरियेट) स्तर पर भी सात पद हैं, जिनमें एक आई. ए. एस. अधिकारी आफीसर आन स्पेशल ड्यूटी के तौर पर नियुक्त है इसके बाद सेक्सन आफीसर, पर्सनल आसिस्टेंन्ट व अन्य स्टाफ नियुक्त है।

इस योजना के मातहत कहने के लिए 6 वर्ष तक के बच्चों का सर्वांगीण विकास, इनके स्वास्थ, देख-रेख, शिक्षा पोषाहार (न्यूट्रीसन) आदि की व्यवस्था करना तथा 15 से 45 वर्ष तक की महिलाओं तथा गर्भवती व प्रसव के बाद महिलाओं को आवश्यक शिक्षा प्रदान करना, पोषाहार और साधारण स्वास्थ की जानकारी देना, रोगों के प्रतिरोधक टीके आदि लगाने की व्यवस्था करना आदि-आदि है। पर सरकारी नीतियों और भ्रष्टाचार के चलते सारे साधन जो भी हैं उनका अधिकांश हिस्सा ऊपरी स्तरो

पर ही समाप्त हो जाता है। परन्तु इससे देहातों में फैली इन कार्यकत्रियों के कामों और इनकी परेशानियों में कोई फर्क नहीं पड़ता।

इन कार्यकत्रियों को रोजाना निम्न कार्य करने होते हैं:—

1. प्रात: 6 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाना, उनके लिए पौष्टिक आहार के नाम पर जो कुछ उपलब्ध है उसे तैयार करना और बांटना।
2. दोहपर एक बजे बाद गांव में विजिट करना जिसमें कुपोषित बच्चों, गर्भवती महिलाओं, प्रसव बाद की महिलाओं की सूची तैयार करना। ऐसे बच्चों की सूची तैयार करना जिन्हें रोग निरोधक टीके लगने हैं आदि-आदि।
3. इन कार्यकत्रियों को चिकित्सा तथा स्वास्थ विभाग तथा सामुदायिक विकास विभाग के कर्मचारियों के साथ सहयोग और उनकी मदद करनी होती है।
4. आंगनवाड़ी सहायिका को इन सब कामों में कार्यकत्रियों की मदद करनी होती है।
   इन सब कामों को करने के लिए कार्यकत्रियों को 2-3 माह का प्रशिक्षण दिया जाता है और इसी आधार पर उन्हें उपरोक्त सारे काम करने होते है।
5. इन कार्यकत्रियों व सहायिकाओं को परिवार नियोजन के केस भी हर माह देने होते हैं। यह न दे पाने पर इन्हें मिलने वाली मासिक राशि रोक ली जाती है।

काम की स्थिति

आंगनवाड़ी लगाने के लिए समुचित स्थान का नितान्त अभाव रहता है बच्चों के बैठने के लिए टाट-पट्टी आदि नहीं होती, देहात में काम कर रही इन कार्यकत्रियों के लिए यूरिनल, बाथरूम, पीने के पानी आदि की समुचित व्यवस्था का सर्वथा अभाव है।

सामन्ती रीति-रिवाजों और परम्पराओं की वजह से इन कार्यकत्रियों को अक्सर अपमानित होना पड़ता है।

अधिकारी भ्रटाचार में डूबे हैं, वे आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों से बच्चों को दिये जाने वाले पोष्टिक आहार आदि में से अपने हिस्से की मांग करते हैं। और कार्यकत्रियों को मजबूर होना पड़ता है।

इन्हें कोई छुट्टियां आदि नहीं मिलती, इसके बारे में कोई नियमावली नहीं है।

इस बहुउद्देशीय काम के लिए हाईस्कूल और उससे अधिक शैक्षिक योग्यता वाली कार्यकत्रियों (ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट महिलायें तक इस कार्य में लगी हैं) को 275/- प्रतिमाह और जूनियर हाईस्कूल पास को 200/- प्रतिमाह तथा सहायिका को 110/- प्रतिमाह दिया जाता है। अत्यन्त दुखदायी बात यह है कि इसका भुगतान भी हर माह बराबर नहीं होता, जिससे महिलाओं को अत्यन्त कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

इन कार्यकत्रियों की सेवाओं के बारे में कोई कायदा कानून नहीं है कोई सेवा शर्तें नहीं हैं इन्हें जब चाहें रखा और निकाला जा सकता है। इनकी दिक्कतों को दूर करने और उन्हें हल करने के लिए कोई नियम नहीं हैं, नतीजा यह है कि ये गंभीर शोषण की शिकार हैं।

उपरोक्त रिपोर्ट को सामने रखते हुए यह स्पष्ट है कि सचिवालय स्तर से प्रोजेक्ट स्तर तक सभी अधिकारी और कर्मचारी उ० प्र० सरकार के कर्मचारी हैं और अन्य सरकारी कर्मचारियों को प्राप्त सुविधा व वेतन प्राप्त करते हैं। परन्तु सबसे निचले स्तर पर जिन कर्मचारियों के कन्धों पर इस योजना को चालू करने का वास्तविक भार है वे अधिकारियों और देहात के सामान्तों और भ्रष्टाचारियों के रहमोकरम पर निर्भर है। वे न सरकारी कर्मचारी हैं, न उनकी कोई सेवा शर्तें हैं और न उनको सरकारी कर्मचारियों की तरह वेतन भत्ते व अन्य सुविधायें ही प्राप्त होती हैं। पूरे प्रदेश के गांव-गांव में कार्यरत लगभग 70 हजार ये कार्यकत्रियों निरीह स्थिति में गंभीर शोषण की शिकार है।

प्रदेश में अभी तक इन्हें संगठित करने का हमारी ओर से कोई प्रयास शुरू नहीं किया जा सका है, किसी अन्य के द्वारा भी ऐसा प्रयास नहीं हैं, और इसका बाकायदा कोई संगठन अभी तक प्रदेश में नहीं है।

क० म० भट्ट

मध्यप्रदेश में स्थिति

1. कार्यकर्त्ता के 'नियुक्ति-आदेश' पर 'नौकरी' शब्द का उल्लेख न होकर 'मानदेय-पद' शब्द का उल्लेख [शेष पृष्ठ 13 पर]

हरियाणा के 96 विकास खंडों में से 67 में समेकित बाल विकास परियोजना लागू है। हमारे राज्य में यह परियोजना पिछले डेढ़ दशक से चालू है। इस परियोजना के अन्तर्गत लगभग 6500 कार्यकर्ता और 6500 सहायिका सेवारत हैं। राज्य की ये तेरह हजार से अधिक महिलाएं कर्मचारी वर्ग में सबसे कम वेतन पाती हैं तथा सबसे अधिक उत्पीड़ित हैं। इस रिपोर्ट में इन कर्मचारियों के अत्यधिक कार्यभार, विभिन्न प्रकार की ड्यूटी, प्रशासन द्वारा उत्पीड़न, सरकार द्वारा उपेक्षा, कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की दयनीय स्थिति के साथ-साथ सांगठनिक स्थिति की चर्चा करने की चेष्टा की गई है।

बहुआयामी काम

एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से कई प्रकार के काम करने की अपेक्षा की जाती है। गर्भस्थ शिशु से सात वर्ष के बालक सम्भाल, गर्भवती माताओं के स्वास्थ्य की देख-रेख करना आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का मुख्य काम है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को कई प्रकार की सर्वे रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है, जिसके अन्तर्गत कुल पुरुष, स्त्रियां, विवाहित पुरुष, विवाहित स्त्रियां, अविवाहित पुरुष, अविवाहित स्त्रियां, शिक्षित पुरुष, शिक्षित स्त्रियां, कुल गर्भवती महिलाएँ, कुल दूध पिलाने वाली महिलाएँ, 6 मास तक के बच्चे, 6 मास से एक वर्ष के बच्चे, एक वर्ष से दो वर्ष के बच्चे, दो वर्ष से तीन वर्ष के बच्चे, तीन वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे, कुल लड़के लड़कियाँ, 15 वर्ष से 45 वर्ष की महिलाएँ—इनकी अलग-अलग सूचियाँ बनानी पड़ती हैं। सर्वे रिपोर्ट में नवजात शिशुओं तथा उक्त अवधि के दौरान मरने वालों की संख्या का उल्लेख भी करना होता है। अनुसूचित जाति के मामले में उपरोक्त आंकड़े अलग से तैयार करने पड़ते हैं। सर्वेक्षण के पश्चात् लाभान्वित बच्चों तथा माताओं की सूची बनानी पड़ती है। सर्वेक्षण की मासिक रिपोर्ट बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय में भेजनी होती है।

सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती माताओं तथा दूध पिलाने वाली महिलाओं के 6 मास से 1 वर्ष, 1 से 2 वर्ष, से 3 वर्ष 1 तथा 2 वर्ष के बच्चों के नाम रजिस्टर में दर्ज किए जाते हैं। बच्चों के शारीरिक, सामाजिक व मानसिक विकास के लिए अलग अगल क्रियाएँ करवानी पड़ती है। स्वास्थ्य परिचालक की मदद से अस्वस्थ और कमजोर बच्चों के स्वास्थ्य की देख-भाल करनी होती है। बच्चों की महीने भर में एक बार स्वास्थ्य परीक्षा करनी होती है। प्रतिदिन बच्चों के लिए पोषाहार तैयार किया जाता है। गर्भवती माताओं व अस्वस्थ बच्चों को दी गई चिकित्सा सुविधाओं के उल्लेख के लिए अलग से रजिस्टर तैयार करना पड़ता है। गर्भवती माताओं व दूध पिलाने वाली माताओं को भी पोषाहार दिया जाता है। टेटनस के टीके लगवाऐ जाते हैं तथा उन्हें सफाई एवं स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा दी जाती है।

पोषाहार के वितरण का पूरा-पूरा हिसाब रखना पड़ता है। इसके साथ-साथ प्रतिदिन एक घण्टे के लिए घर-घर जाकर सम्पर्क करना होता है। यदि कोई बच्चा केन्द्र में आए तो उसका घर जाकर पता करना पड़ता है। इन कार्यों के अलावा सरकार की परिवार नियोजन व लघु बचत योजनाओं को प्रचारित व प्रसारित करना भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की ड्यूटी मानी जाती है। उपरोक्त सभी कार्यों की समीक्षा एवं जांच-पड़ताल के लिए एक महीने में एक मिटिंग की जाती है, जिसमें सरपंच, पंच, विद्यालय के अध्यापक, महिला मण्डल के सदस्य भाग लेते हैं। इसके अतिरिक्त राशन की जांच पड़ताल के लिए 10 महिलाओं की एक कमेटी बनाई जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सरकार आंगनवाड़ी कर्मचारी से वे सभी काम लेना चाहती है जो अन्य विभागों का कार्य हैं और जिनका सीधे रूप में बाल-विकास से कोई भी सम्बन्ध नहीं है। एक कार्यकर्ता और सहायिका प्रतिदिन 6 घण्टे का समय बहुत ही व्यस्त और अत्यधिक कार्यभार के दबाव में होता है।

बाल विकास और सरकार की दिवालिया नीतियाँ

बालविकास कार्यक्रम को आज के लोकतांत्रिक मानव समाज में उच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए लेकिन सर-

कार ने इस परियोजना के नाम पर जनता से बेहूदा मजाक किया हुआ है। यह सरकार की दिवालिया नीतियों का ही सबूत है कि समेकित बाल विकास परियोजना पर खर्च की जाने वाली राशि का बड़ा हिस्सा अन्तर्राष्ट्रीय संस्था युनीसेफ द्वारा खर्च किया जाता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का दम भरने वाली सरकार और राज्य सरकारें अपने दायित्व से मुक्त रहना चाहती हैं। सरकार की इसी नीति के परिणाम स्वरूप बाल विकास परियोजना एक अस्थाई परियोजना है। क्या बाल विकास कार्यक्रम कुछ समय चलने वाला है या कुछ समय बाद बाल-विकास सरकार के एजेण्डे पर नहीं रहेगा? दूसरी ओर पोषाहार के नाम पर सरकार बच्चे, गर्भवती व दूध पिलाने वाली माता पर 45 पैसे प्रतिदिन खर्च करती है। आप अनुमान लगाकर देखिए कि 45 पैसे प्रतिदिन में किस प्रकार का पोषाहार उपलब्ध कराया जा सकता है। सरकार के इन खोखले दावों की पोल तब भी खुल जाती है जब हम देखते हैं कि आंगनवाड़ी के लिए भवन की व्यवस्था की जिम्मेवारी भी कार्यकर्ता की अपनी है। चाहे वह सरपंच से मिलकर प्रबन्ध करवाए या जेब से पैसे देकर कमरा किराए पर ले, इससे सरकार का कोई सरोकार नहीं है। इसी तरह ईंधन के मामले में किया जाता है। पहले तो ईंधन के लिए कुछ दिया ही नहीं जाता था लेकिन कार्य-कर्त्ताओं के दबाव डालने पर 30 रु. ईंधन भत्ता प्रतिमास दिया जाने लगा है। जबकि महीने भर पोषाहार पकाने के लिए 150 रुपये ईंधन पर खर्च होते हैं। सरकार की उपेक्षा व दिवालिएपन की सूची इतनी लम्बी है कि उसे इस रिपोर्ट में दर्ज करना सम्भव नहीं होगा।

आँगनवाड़ी कर्मचारियों की दुर्दशा

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को अत्यधिक एवं अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने के बाद जिस दयनीय स्थिति में जीवन बिताना पड़ता है उसको सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते है। एक एक आंगनवाड़ी कर्मी की जिंदगी किसी दास या बन्धुआ मजदूर से अच्छी नहीं है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को महज 275 रुपये और सहायिका को 110 रुपये मासिक वेतन पर काम करना पड़ता है। कोई कल्पना करके देखे कि 110 रुपये या 275 रुपये में किस प्रकार की जिन्दगी बिताई जा सकती है। दूसरी ओर सरकार बड़ी बेशर्मी से यह कहती है कि यह तो स्वैच्छिक कार्य है। इसलिए हम आंगनवाड़ी में काम करती हुई महिलाओं को वेतन नहीं मानदेय देते हैं। हमारा सवाल है कि इस योजना के कर्णधार, राजनेता एवं अधिकारी मानदेय पर समाज सेवा क्यों नहीं करते। सच्चाई तो यह है कि मानदेय कहकर कर्मचारियों का वेतन न बढ़ाना सरकार की चाल है। क्या इसे विडम्बना नहीं माना जाएगा कि पेट की भूख से पीड़ित एक महिला अपने रोते बच्चों को छोड़कर सेवाभाव से दूसरों के बच्चों को खिलाने व पालन-पोषण के लिए जाए। तुलसीदास ने तो सैंकड़ों साल पहले कह दिया था कि 'भूखे पेट भजन न होई गोपाला'। लेकिन आज के लोकतन्त्र के अलमबरदार शासक वर्ग लाखों-लाख महिलाओं से भूखे पेट समाज सेवा करवाना चाहते हैं। वेतन के अलावा कर्मचारियों की और भी बहुत-सी दिक्कतें हैं। इन कर्म-चारियों को 10-10, 15-15 वर्ष की नौकरी के बाद भी स्थायी नहीं किया जाता तथा न ही किसी प्रकार की पदोन्नति का अवसर प्रदान किया जाता है। अमानवीय व्यवहार की हद यहां तक है कि आंगनवाड़ी कर्मचारियों को बीमार होने पर चिकित्सा अवकाश भी नहीं दिया जाता तथा प्रसूति अवकाश भी केवल एक बच्चे के समय ही दिया जाता है।

अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न व अपमानजनक व्यवहार

बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक ओर तो सरकार ने इन कर्मचारियों के साथ ज्यादती करने में कसर नहीं छोड़ी है। वहीं इसके साथ-साथ विभागीय अधिकारियों के दुरव्यवहार ने तो सभी सीमाएं लांघ दी हैं। राज्य-भर से विभिन्न विकास खंडों की रिपोर्ट से मालूम हुआ कि विभाग के डायरेक्टर से लेकर चपरासी तक सभी आंगनवाड़ी कर्मियों पर रोब झाड़ना अपना अधिकार समझते हैं। यहां तक कि दूसरे विभागों के अधिकारी भी आंगनवाड़ी कर्मियों पर धौंस पट्टी जमाने में अधिक सुविधा समझते हैं। ऐसे-ऐसे मामले नोटिस में आए हैं जैसे कि परिवार नियोजन का केस न मिलने पर दो-दो महीने की तनख्वाह काट लेना। ए. एन. एम. के साथ गर्भवती

माताओं को टीके लगवाने के लिए गांव में चले जाने पर सुपरवाइजर द्वारा अनुपस्थिति लगा देना और तनख्वाह काट लेना। कई मामलों में तो 10-10 दिन का वेतन काट लिए जाने की भी सूचनाएं मिली हैं। इसी तरह राज्य-भर के कार्यकर्ताओं की शिकायत मिली है कि राशन कम दिया जाता है और हस्ताक्षर ज्यादा पर करवाए जाते हैं और फिर निरीक्षण के नाम पर कार्यकर्ताओं को चोर कह कर अपमानित करने की अनेक घटनाएँ सामने आई हैं। अधिकारी वर्ग घटिया राशन खरीदकर सरकार को चूना लगाते रहते हैं। और यह घटिया राशन पोषाहार के नाम पर अबोध बालकों तथा माताओं को खिलाया जाता है। अगर कोई कार्यकर्ता शिकायत करे तो उसे सी. डी. पी. ओ के कोप का भाजन बनना पड़ता है। और बहुधा नौकरी से भी हाथ धोना पड़ जाता है। दूसरी ओर यदि निरीक्षण करने पर राशन स्टाक से कम पाया जाये तो कार्यकर्ता से अच्छे राशन की कीमत वसूली जाती है। इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि यदि राशन स्टाक से अधिक पाया जाय तो रिकवरी भी डाल दी जाती है तथा राशन को पुन: स्टाक में दर्ज कर दिया जाता है। हालांकि अनेक अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि राशन की थोड़ी मात्रा में कम या ज्यादा होना माप की खामी या मामूली असावधानी के कारण भी हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद कर्मचारियों को उत्पीड़ित करने की कार्यवाही निरन्तर जारी है। इसके अलावा अधिकारी वर्ग कर्मचारियों को सार्वजनिक स्थानों पर भी अपमानित करने में नहीं चूकते और घरेलू नौकरों जैसा बुरा व्यवहार करते हैं। कई स्थानों से शिकायत मिली हैं कि सी. डी. पी. ओ. तथा सुपरवाईजर सार्वजनिक स्थानों पर डांटने लगते हैं तथा उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा कम करने की कोशिश करते हैं।

सांगठनिक स्थिति

अत्यधिक उत्पीड़न और उपेक्षा से दुखी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने अब अंगड़ाई ली है तथा पिछले 8 मास से संगठन बनाने का काम योजनाबद्ध ढंग से शुरू किया हुआ है। पिछले 8 मास से सर्व कर्मचारी संघ की पहलकदमी तथा अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति की प्रेरणा से कर्मचारियों ने संगठित होने का संकल्प किया। यद्यपि संगठन निर्माण का कार्य अभी बहुत बाकी है। फिर भी यह कार्य उत्साह एवं योजनाबद्ध ढंग से जारी है। इस समय राज्य स्तर पर सांगठनिक कमेटी का गठन किया गया है जिसकी संयोजक संगीता शर्मा हैं। प्रत्येक जिले से 2-2 सदस्य इसमें शामिल किये गये हैं। कुरुक्षेत्र को छोड़कर किसी अन्य जिले में जिला कमेटी का चुनाव नहीं करवाया जा सका है। इस समय तक अम्बाला के जगाधरी, बराड़ा, बिलासपुर, नारायणगढ़ व अम्बाला खण्डों में, कुरुक्षेत्र के सभी तीनों रादौर, लाडवा व शाहबाद खण्डों में, करनाल के पानीपत शहरी व पानीपत ग्रामीण खण्डों में, सोनीपत के गन्नौर, मुडलाना, गोहाना व कथूरा खण्डों में, जींद के नरवाना, उचाना, कलायत खण्डों में, हिसार के हिसार, फतियाबाद, भूना, बरवाला, उकलाना खण्डों में, सिरसा के ऐलनाबाद, डबवाली व बड़ागुढ़ा, गुड़गांवां के फिरोजपुर झिरका, नूंह व नगीना खण्डों में तथा रोहतक के झज्जर खण्ड में चुनी हुई कमेटियां गठित होने की सूचना मिली है। भिवानी महेन्द्रगढ़ तथा फरीदाबाद जिलों के भी कुछ खण्डों के भी चुनाव कराने की सूचना मिली है लेकिन राज्य संयोजक के पास विस्तृत जानकारी नहीं पहुंची है।

2 अप्रैल को करनाल में राज्य स्तर का एक विशेष अधिवेशन किया गया जिसमें फैसला किया गया कि सर्व कर्मचारी संघ के मार्गदर्शन एवं सहयोग से मई तक सभी खण्डों में सांगठनिक चुनाव करवा लिए जाएंगे तथा जून में जिला स्तरीय चुनाव सम्पन्न हो जाएंगे। इसके बाद राज्य स्तरीय सांगठनिक कमेटी राज्य स्तर के चुनाव की योजना बनाएगी। इस अधिवेशन में 22 से 24 अप्रैल तक दिल्ली में होने वाले अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी सम्मेलन में 50 प्रतिनिधि भेजने का फैसला भी किया गया।

आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन हरियाणा में अब तक सरकार द्वारा गठित मूलचंद जैन आयोग और राज्य के वित्तमंत्री श्री बनारसी दास के समक्ष अपना मांगपत्र प्रस्तुत किया है। उनके द्वारा प्रतिनिधिमंडल को दिए गए आश्वासन के बावजूद कोई ठोस नतीजे सामने नहीं आए हैं। यूनियन महसूस करती है कि अखिल भारतीय सम्मेलन से लौटने के बाद मांगों के समर्थन में राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया जाए। इसके साथ-साथ जिन ब्लाकों

में यूनिटें बन चुकी हैं, उनमें अधिकारियों के उत्पीड़न से छुटकारा पाने में मदद मिली है। अधिकारियों के व्यवहार में दबाव के चलते परिवर्तन नोट किया गया है। राज्य के कुछ कर्मचारियों की पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में एक रिट विचारार्थ स्वीकार की जा चुकी है। यूनियन द्वारा उठाई गई मुख्य मांगों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 1200-2040 तथा सहायिका को 750-1150 का वेतनमान देना, सेवाएं नियमित करना, तीन वर्ष के अनुभव के बाद जे० बी० टी० परीक्षा देने का स्थायी प्रावधान करना, समयबद्ध पदोन्नति देना, सरकारी कर्मचारियों के समान अवकाश भत्ते व सुविधाएं देना, केन्द्र भवन व ईंधन व्यवस्था सरकार द्वारा किया जाना शामिल है। □

[पृष्ठ 12 का शेष]

होता है। इस कारण से उन्हें मिलने वाला वेतन 'वेतन' के रूप में न होकर 'मानदेय राशि' होता है जो स्थिर है। आठवीं कक्षा उत्तीर्ण कार्यकर्त्ता को दो सौ पचास रु० और ग्यारहवीं कक्षा उत्तीर्ण कार्यकर्त्ता को तीन सौ मिलते हैं। मंहगाई भत्ता नहीं दिया जाता।

कार्यकर्त्ता की नौकरी पूरी तरह से परियोजना अधिकारी पर निर्भर करती है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों की सहायता से वही कार्यकर्त्ता को नियुक्त करती है। इस कारण वह कार्यकर्त्ता द्वारा उसके खिलाफ जाने पर कभी भी नौकरी से अलग कर सकती है।

3. बारह आकस्मिक अवकाशों के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की छुट्टी की कोई सुविधा नहीं है।
4. उच्चशिक्षा प्राप्त कार्यकर्त्ता के लिए किसी अन्य लाभ की कोई योजना नहीं है। स्नातक कार्यकर्त्ता को यह आश्वासन दिया जाता है कि तीन वर्ष तक कार्यकर्त्ता बने रहने पर उसे इसके बाद पर्यवेक्षक बनाया जायेगा परन्तु प्रत्यक्ष में ऐसा बहुत कम होता है।
5. वेतन केवल 'ब्लॉक' स्तर पर मिलता है इस कारण दूरदराज के गांवों में कार्यरत कार्यकर्त्ता को अपना वेतन लेने के लिये ब्लॉक तक आना पड़ता है यद्यपि ऐसी स्थिति में पर्यवेक्षक के कर्तव्यों में यह आता है कि वह जाकर कार्यकर्त्ता को वेतन दे परन्तु यह नियम कार्यान्वित बहुत कम होता है।

कन्वेंशन में चुने गये तैयारी समिति के सदस्य

1. श्रीमती एस. पुन्यावती	आंध्र प्रदेश
2. श्री एस. मधुसूदन राव	पांडचेरी
3. श्री सी. एच. बाला मोहन	"
4. श्रीमती निरूपमा चटर्जी	पश्चिम बंगाल
5. श्रीमती आरती दासगुप्ता	"
6. श्रीमती नीलिमा मैत्रा	"
7. श्री भवतोष राय	"
8. बृजगोपाल नियोगी	"
9. श्रीमती नीलिमा घोष	"
10. श्रीमती मिनेती चक्रवर्ती	"
11. रेखा गोस्वामी	"
12. श्रीमती अहिल्या रांगनेकर	महाराष्ट्र
13. प्रभा सावन्त	"
14. श्री आर. दहीवाड़े	"
15. श्रीमती ए. नजीमुन्निजा	केरल
16. श्रीमती गिरिजा पौटी	"
17. श्रीमती दक्षायनी	"
18. जोनसेलेट रोज	"
19. श्रीमती रामपुकारी देवी	बिहार
20. श्रीमती नीना राव	दिल्ली
21. श्रीमती रजवंत कौर	पंजाब
22. श्रीमती कुलविन्दर कौर	"
23. श्रीमती राजेश्वरी मुरूगेशन	तमिलनाडु
24. विमल रणदिवे	केन्द्र

कृपया जिन राज्य इकाईयों ने तैयारी समिति के लिए अपने नाम अभी तक नहीं भेजे हैं वे उन्हें जल्द से जल्द भेज दें।

पंजाब

पंजाब के राज्य में 1975 में I. C. D. S Project रोपड़ जिले के ब्लॉक नूरपुर बेदी में खुला था। अब राज्य के सभी जिलों के ब्लॉकों में स्थित है। 47 ब्लॉकों के अधीन 9000 आंगनवाड़ी वर्कर काम करती हैं। कार्यकर्त्ता राज्य स्तरीय यूनियन 14 फरवरी 1988 को बनी है। और इस समय राज्य स्तरीय यूनियन अच्छी तरह काम कर रही है यूनियन बन जाने के बाद 8 मार्च को तीसरे वेतन आयोग के दफ्तर के सामने रैली की थी पर उन्होंने भी यह बात ठुकरा दी और कहा कि यह बात हमारे अधीन नहीं है। स्त्री मलाजम (कौआरड़ी नौराना कामेटी) के साथ 21 सितम्बर 1988 को पंजाब डायरेक्टर के दफ्तर के सामने रैली की थी उसके करने के बाद जो आंगनवाड़ी वर्करों को प्राप्त हुई वे हैं:

1. हमारे रह रहे कुछ वेतन मान मिल जायेंगे। आंगनवाड़ी कर्मचारियों को Mutual Transfer भी की जायेगी।
2. Additionl charges 50 रुपये भी दिये जायेंगे और अब दे भी रहे हैं।

20 फरवरी 1987 में रोपड़ जिले में माडल आंगनवाड़ी का उद्घाटन किया तो श्रीमती मार गरेट अलवा राज्यमंत्री यादव चरमीनविकास ने यह शब्द कहकर हमें उत्साहित किया था कि आंगनवाड़ी कर्मचारियों को ही पदोन्नति दी जायेगी। पर अफसोस की बात यह है कि कोई भी लड़की को अब तक पदोन्नति नहीं दी गई। उसके बाद दफ्तर से यह पता भी मिला है कि B.A. पास और 5 वर्ष की सेवा करती कर्मचारी को प्रमोट किया जायेगा मैट्रिक पास और 10 वर्ष की सेवा कर रही लड़की को भी उन्नति दी जायेगी।

मैट्रिक पास बाल सेविका ट्रेनिंग, तथा 8 वर्ष सेवा करने के उपरान्त सुपरवाईजर बना दिया जायेगा।

यह बाल सेविका की ट्रेनिंग को काटना चाहिये पर मौजूदा हालत में 14 वर्ष से काम कर रही लड़कियां भी है। पांच वर्ष से सेवा करती लड़की को 25 रु. हर महीने अधिक मिलते हैं 8 वर्ष से काम कर रही लड़की को 50 अधिक दिये जाते हैं इस तरह 325 रु० बन जाते हैं। मैट्रिक पास लड़की को 275 रुपये मिलते हैं। और जो लड़की मैट्रिक पास नहीं है उसे 225 रुपये मिलते हैं। और हेल्पर को 110 रुपये मिल जाते हैं।

आंगनवाड़ी बच्चों को गेहूं, चावल, चीनी, दूध और तेल मिल जाता है। एक छोटे बच्चे को 65 पैसे का पोषाहार मिलता है और औरत को भी 95 पैसा मिलता है।

हमें खाना बनाने के लिये ईंधन नहीं मिलता है। और यह ईंधन मिलना चाहिए। और आगे हम यह सुझाव देते हैं कि पंजाब की बहनें यह चाहती हैं कि भारत में आंगनवाड़ी यूनियन अखिल भारतीय स्तर पर बनानी चाहिये। सभी राज्य के कर्मचारियों की यह मांगें हैं :

1. आंगनवाड़ी कर्मचारियों को सरकारी मुलाजम माना जाये।
2. योग्यता के अनुसार ग्रेड दिये जायें, अगर आंगनवाड़ी यूनियन बन जाये तो अफसर शाही का दबाव कम हो सकता है।
3. अलग-अलग राज्य में सरकारी छुट्टियां होती है और बचे राज्यों में भी लागू होनी चाहिये।
4. प्रसवता छुट्टी एक बच्चे के लिये मिलती है वो सरकारी कर्मचारियों की तरह मिलनी चाहिये।
5. और स्कूल की तरह गर्मियों की छुट्टियां होनी चाहिये।
6. मकान का किराया मिलना चाहिये।
7. और राज्य की तरह बोनस मिलना चाहिये, त्यौहारों पर उपहार मिलना चाहिये।

जो नियम और राज्यों में लागू है वो रह रहे राज्यों में तुरन्त लागू किया जाये।

उड़ीसा

उड़ीसा में 7000 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता हैं। अभी तक, 314 ब्लॉकों में से 84 ब्लॉकों में आंगनवाड़ी योजना लागू की जा चुकी है। यह योजना 1979 से लागू की जा रही है। इस योजना के लिए केन्द्रीय सरकार की ओर से 7 करोड़ 66 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह पैसा राज्य सरकार के समुदाय विकास विभाग

द्वारा उपयोग किया जा रहा है। दसवीं कक्षा से कम पढ़े हुए कार्यकर्ताओं के लिए 225/- रुपये वेतन तय किया गया है, दसवीं यानि मैट्रिक पास के लिए 275 रुपये, सहायकों के लिए 110 रुपये। हर पांच साल के बाद वेतन में 25 रुपये की बढ़ोतरी होती है। 1988 में आंगनवाड़ी योजना 49 अन्य ब्लॉकों में आरम्भ की गई हैं पर केन्द्रीय सरकार ने केवल 21 ब्लॉकों के लिए पैसा स्वीकृत किया है।

बी० एम० एस० ने कटक जिले में बालीकुदा में एक स्थानीय यूनियन बनाई है। हाल ही में उनका राज्य सम्मेलन हुआ जिसमें बी० एम० एस० ने एक राज्य स्तर की समिति बनाने की कोशिश की।

अपनी यूनियनों की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्याओं के बारे में जानकारी लेने और उनमें काम शुरू करने का सीटू ने फैसला लिया है।

हिमाचल प्रदेश की स्थिति

कामरेड अध्यक्षमण्डल तथा देश के भिन्न-भिन्न हिस्से से आई बहनो ! मैं हिमाचल प्रदेश इकाई की ओर से आपका अभिनन्दन करती हूं।

कामरेडस हमारे प्रदेश में 'आंगनवाड़ी वर्कर्स यूनियन', का गठन नया ही हुआ है तथा व्यवस्थित ढंग से नहीं हुआ है। हमारे प्रदेश में कुल मिलाकर 21 प्रोजैक्ट है। जिनमें करीब 5000 वर्कर्स तथा हैल्पर्स कार्यरत हैं।

जहां तक हमारे प्रदेश में आंगनवाड़ी वर्कर्स तथा हैल्पर्स की समस्याओं का सम्बन्ध है, उनकी हालत बहुत चिंताजनक है। तथा उनका शोषण अमानवीय रूप से हो रहा है। जो सामन्ती समाज के समान है। हमें प्रदेश सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन जो 450 रु० है,नहीं मिलता है। आंगनवाड़ी वर्कर्स में मैट्रिक तथा मैट्रिक के नीचे की योग्यता में अंतर किया गया है। मैट्रिक को 275 रु० महीना तथा इससे नीचे की योग्यता वालों को 225 रु० महीना दिया जाता है। जबकि काम सबको एक जैसा करना पड़ता है। हमारी तरह इसी विभाग के अन्तर्गत क्रेश सेंटर की वर्करों को नियमित रूप से लिपिकों के समान वेतन मिलता है। जबकि अस्थाई को नहीं। अतः समान कार्य का समान वेतन नहीं मिलता। हैल्पर्स की हालत और भी चिंताजनक है। उन्हें मात्र 110 रु० मिलते हैं तथा उन्हें काम भी अधिक करना पड़ता है और समय भी अधिक लगाना पड़ता है। न्यूट्रिशन की हालत बहुत ही खराब है। यह बहुत ही घटिया किस्म का दिया जाता है तथा समय पर नहीं मिलता। कई-कई दिन सेंटर बिना न्यूट्रिशन के चलाने पड़ते हैं। जो कि बच्चों के लिए हानिकारक है। इसकी आड़ में सरकार तथा इसके भ्रष्ट कर्मचारी लाखों रुपये कमीशन खाते हैं। न्यूट्रिशन को सेंटरों तक नहीं पहुंचाया जाता तथा हमें दूर-दराज के इलाकों में न्यूट्रिशन ले जाने के लिए अपनी जेब से पैसा डालना पड़ता है। सेंटर हमें अपने घरों में भी चलाने पड़ते हैं जिसका कोई किराया नहीं मिलता। हमारे काम का स्थाई रूप होते हुए भी हमें अस्थाई रखा जाता है। सरकार की कोई भी नीति एसी नहीं है जो हमें स्थाई बनाने के बारे में हो।

सरकार की लम्बी-चौड़ी घोषणाओं के बावजूद कि महिलाओं के कल्याण के बारे में भिन्न-भिन्न योजनाएं चलाई गई हैं। हम कामगार महिलाओं को मेहनत की इतनी भी कमाई नहीं कि परिवार के छोटे खर्चे तो पूरे हो सकें।

ये प्रोजैक्टस् जिनमें राज्य केन्द्र तथा यूनीसेफ शामिल हैं हमारे हितों को पूरी तरह अनदेखा कर रहे हैं। इन प्रोजैक्टस् की कोई स्पष्ट लाईन नहीं है। हमारे सेंटरों को प्राइमरी स्कूलों से भी नहीं जोड़ा गया है। इस सरकार से हम महिलाओं के कल्याण की क्या आशा कर सकते हैं जो कि हमें दो वक्त की रोटी के लिए भी वेतन न दे सके।

हमारे सेंटरों का बहुत महत्त्व है तथा इन्हें सुचारु रूप से चलाया जाना चाहिए। सही ढंग का पौष्टिक आहार बच्चों के लिए मिलना चाहिए। साथ ही हमारी सेवाओं को वेतनमानों से जोड़कर रेगुलर किया जाना चाहिए। ताकि हम इस महत्त्वपूर्ण कार्य को विश्वास के साथ कर सकें।

अन्त में हमारी डेलीगेशन धन्यवाद देता है कि हमें इस कन्वेंशन में हिस्सा लेने का मौका दिया गया। हम आपको विश्वास दिलाती हैं कि हम अपने इस संगठन को जल्दी-से जल्दी पूरे प्रदेश में फैलाकर एक कन्वेंशन करायेंगी। हम आशा करते हैं कि केन्द्रीय कमेटी की ओर से हमें समय-समय पर पूरी सहायता मिलती रहेगी।

आँगनवाड़ी वर्कर्स यूनियन हिमाचल प्रदेश

बिहार में कल्याण विभाग के अन्तर्गत आंगनवाड़ी कार्यक्रम चलाया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का सर्वांगीण विकास करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। मूल रूप से बच्चों को शिक्षित करना, बच्चों एवं माताओं के स्वास्थ्य की देखभाल करना एवं इससे सम्बन्धित ज्ञान देना तथा कुपोषित बच्चों को पोषणयुक्त भोजन देने की कार्रवाई भी इस योजना के तहत की जाती है। इन सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सम्बन्धित महिलायें आंगनवाड़ी सेविका एवं आंगनवाड़ी सहायिका के पदों पर नियुक्त की जाती हैं परन्तु ये सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। इन्हें वेतन नहीं दिया जाता है, बल्कि प्रतिमाह मात्र 275/-रु. मानदेय दिया जाता है एवं आंगनवाड़ी सेविका को 110/- रु. दिया जाता है। सेविका के पद पर नियुक्त महिलाओं को न्यूनतम योग्यता प्रवेशिका उत्तीर्ण है जबकि इनमें से अधिकांश स्नातक एवं इंटरमीडिएट की शिक्षा प्राप्त हैं। सहायिका की योग्यता नोन-मैट्रिक है। जबकि इस पद पर भी प्रवेशिका उत्तीर्ण महिला कार्यरत हैं।

आंगनवाड़ी केंद्र चलाने के लिए सरकार द्वारा किराये का मकान लेने का प्रावधान है परन्तु सरकार द्वारा मकान किराया की राशि या तो उपलब्ध ही नहीं करायी जाती या करायी भी जाती है तो आवंटन समय पर नहीं आती है, आवंटन आने पर भी किराये के भुगतान में कल्याण पदाधिकारियों द्वारा घपला किया जाता है। जिससे सेविकाओं को केंद्र चलाने में काफी कठिनाई होती है। इसके अलावा पोषणयुक्त आहार का सामान भी समुचित रूप से केन्द्रों को नहीं दिया जाता है। सरकार के द्वारा व्यवस्था होने के बावजूद प्रशासन के द्वारा इसमें बड़ी घपलेबाजी होती है। केंद्र न रोशनी की व्यवस्था है और न ही सफाई के लिए किसी झाड़ूकश की नियुक्ति की गयी है।

बिहार के कुछ जिलों में आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं का संगठन बन रहा है।

1. आंगनवाड़ी कार्यक्रम सरकारी योजना है, इसमें कार्यरत सभी सेविकायें एवं सहायिकायें सरकारी काम करती हैं, इसलिए उन्हें पूर्ण सरकारी सेवक घोषित किया जाय। मानदेय पर सरकारी काम लेना महिलाओं तथा सरकार द्वारा शोषण है इसे अविलम्ब बन्द किया जाय।
2. जब तक इन्हें सरकारी सेवक घोषित नहीं किया जाता है तब तक प्रत्येक माह में इनका मानदेय निश्चित रूप से समय पर भुगतान किया जाये।
3. आंगनवाड़ी योजना के तहत काम करने के लिए सभी सामान समय पर केंद्र में पहुंचाया जाय।
4. केंद्र के निकट चापाकल की अविलम्ब व्यवस्था की जाय।
5. प्रत्येक केंद्र में रोशनी की व्यवस्था शीघ्र की जाय।
6. प्रत्येक केंद्र के लिए एक-एक झाड़ूकश की नियुक्ति की जाय।
7. प्रत्येक केंद्र के समुचित संचालन में सहयोग के लिए ग्रामीण समितियों का गठन किया जाय।

बिहार में आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं की संख्या पचास हजार के लगभग है। उपरोक्त मांगों की पूर्ति हेतु 23 फरवरी, 88 को पटना के मसौढ़ी अंचल की सेविकाओं एवं सहायिकाओं के द्वारा कल्याण पदाधिकारियों के समक्ष प्रदर्शन किया गया।

प्रस्ताव

बिहार के अन्तर्गत मुजफ्फरपुर जिले में जनवरी 89 से 23 आंगनवाड़ी सेविकाओं को उप निदेशक कल्याण मुजफ्फरपुर द्वारा गलत ढंग से निलंबित किया गया है। प्रयास के बावजूद अभी तक निलंबन वापस नहीं लिया गया है इसलिए मैं केन्द्रिय कमेटी से अनुरोध करना चाहती हूं कि इस प्रस्ताव को सम्मिलित किया जाय। और उचित कार्रवाई हेतु किया जाय।

पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल राज्य आई० सी० डी० एस० कर्मी समिति का गठन कलकत्ता में हुए सम्मेलन में 1982 में हुआ। पहला राज्य सम्मेलन 1985 में हरित जिला हुगली में हुआ। आई० सी० डी० एस० केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है और इसका आर्थिक भार केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों उठाती हैं। यह एक अखिल भारतीय योजना है और प्रोजेक्टस राज्य भर में फैले हैं।

हर आंगनवाड़ी केन्द्र में एक कार्यकर्ता और एक सहायिका हैं। एक केन्द्र 1000 तक की तादाद के लिए है। एक प्रोजेक्ट के अन्तर्गत ये केन्द्र आते हैं। अभी तक यहां 137 प्रोजेक्ट हैं जिसमें से 129 कार्य कर रहे हैं और बाकी 8 में कार्य शुरू नहीं हुआ।

राज्य में कुल 33,484 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं हैं। समिति की सदस्यता 10,823 है और शेष कार्यकर्ता अभी असंगठित हैं। आर० एस० पी० (वामपंथी मोर्चे की एक पार्टी) ने भी एक संगठन बनाने की चेष्टा की है। पर उनकी इकाईयां केवल बालुरघाट और 24 परगना जिलों में हैं। सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायक महिलाएं हैं, इसीलिए यह संगठन अति महत्वपूर्ण है।

दूसरा राज्य सम्मेलन इस वर्ष, अगस्त में जिला नादिया में होगा।

सभी कार्यकर्ता अंश कालिक हैं। उनका पहले और अभी का प्रतिमाह मानदेय इस प्रकार है:

आँगनवाड़ी	पहले	अब
स्कूल फाइनल पास	150 रु०	325 रु०
आठवीं कक्षा पास	125 रु०	225 रु०
सहायिका	35 रु०	110 रु०

हर दिन 3 घण्टे का समय देना आवश्यक है। मुख्य कार्य है 6 साल तक के बच्चों को दिए जाने वाला भोजन तैयार कराना। गर्भवती महिलाएं भी इस योजना में शामिल हैं।

भोजन के अतिरिक्त विटामिन 'ए' तेल एवं फोलीफर गोलियां भी दी जाती है। इसके अलावा बीमारियों से बचाव के टीके भी लगाए जाते हैं।

बच्चों में प्रारम्भिक पढ़ाई का काम भी यह केन्द्र देखते हैं बच्चों और गर्भवती महिलाओं के भार तथा अन्य संख्यिकि विवरण का एक रजिस्टर रखा जाता है।

भोजन बनाने और बच्चों की देखभाल का काय अक्सर सहायिकाएं ही करती हैं और बाकी कार्य का दायित्व आंगनवाड़ी का होता है। अपने इलाके के घरों-घरों में जाना भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के काम में शामिल है।

उपलब्धियाँ

आंगनवाड़ी आन्दोलन का संगठन एक 14 सूत्रीय मांग पत्र के आधार पर गठित किया गया था। अभी तक ये हमारी उपलब्धियां हैं:—

1. आंगनवाड़ी और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि हुई।
2. आकस्मिक अवकाश वर्ष में 12 दिन से बढ़ाकर 20 दिन हुआ।
3. प्रसूति अवकाश की स्वीकृति मिली।
4. स्नातक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अब सुपरवाइजर पद के लिए होने वाली परीक्षाओं में बैठ सकते हैं। यह पद सरकारी नियुक्ति का है। कार्यकर्ता इस परीक्षा में 38 वर्ष तक की आयु तक बैठ सकते हैं।
5. संगठन अब आंगनवाड़ी महिलाओं में जाना जाने लगा है।

तमिलनाडु

तमिलनाडु में 39 प्रोजेक्टस् हैं जो आंगनवाड़ी योजनाएं चलाती हैं। हर योजना में कम से कम 250-300 कार्यकर्ता काम करते हैं। हर आंगनवाड़ी में एक संयोजक और दो सहायिकाएं हैं। संयोजक या एक सहायिका का वेतन 250/रु. केन्द्रीय सरकार देती है और दूसरी सहायिका का वेतन 90 रुपये राज्य सरकार के जिम्मे है आंगनवाड़ी में काम करने वाली 12000 कार्यकर्ता महिलाएं हैं।

सहायिकाओं को काम पर 8.45 सुबह आना होता है।

और संयोजक को 9 बजे। सप्ताह में तीन दिन कार्यकर्ता को घर-घर जाकर (कम से कम 10 घर) सांख्यिकी विवरण इकट्ठा करना पड़ता है। गर्भवती महिलाओं की संख्या, छोटे बच्चों की संख्या, रोगनिरोधक औषधियों का विवरण, गर्भ-निरोध के लिए अपनाये गए तरीके, शिक्षा इत्यादि के सभी विवरण इकट्ठे करने पड़ते हैं।

सहायिकाओं को दोपहर का भोजन बनाना व बच्चों की देखभाल करनी होती है। इसके अलावा हर पन्द्रह दिन में माताओं के साथ मीटिंग होती है। जिसमें उन्हें, स्वच्छत पेचिश की दवाईयां, रोग निरोधक औषधियां, पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य शिक्षा-परिवार नियोजन, बचत आदि सम्बन्धी जानकारी दी जाती है। इन सब मीटिंगों की एकत्रित जानकारी के रजिस्टर रखे जाते हैं।

सेवा शर्तें

आकस्मिक अवकाश साल में 20 दिन, पहले बच्चे के जन्म पर 3 महीने का प्रसूति अवकाश (वेतनस हित) परन्तु दूसरे बच्चे के जन्म पर अवकाश बिना वेतन का होगा। महीने में 2 दिन से अधिक अवकाश लेने पर वेतन में कटौती होती है। शनिवार (जो कि पौष्टिक आहार तैयार करने का दिन होता है) के दिन छुट्टी लेने पर संयोजक के वेतन से 10 रुपये और सहायिका के वेतन से 5 रु काटे जाते हैं।

निरीक्षण के समय अगर दालों, चावल, तेल, गेहूं, चीनी आदि की मात्रा में कमी या अधिकता होने पर वस्तु का दुगना दाम एक ही किश्त में, कार्यकर्ताओं से वसूल किया जाता है। पौष्टिक आहार का अंश बच जाने पर भी पैसे उनके वेतन से काट लिए जाते हैं।

मांगें

1. सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं को स्थायी किया जाए।
2. रविवार की छुट्टी हो।
3. दोपहर को दो या तीन बच्चों को घर भेजने की इजाजत हो।
4. चावल और दालों की तरह अन्य खाद्य वस्तुओं जैसे सब्जियां, लकड़ी, चीनी आदि का वितरण भी सीधा सरकार ही करे।
5. कार्यकर्त्ताओं के वेतन से दुगुने दामों की वसूली बन्द हो।
6. अनुशासनिक कार्यवाही से पहले पूरी जांच होनी चाहिए।
7. अन्य राज्यों की तरह पदोन्नित के अवसर होने चाहिए।

दिल्ली

दिल्ली में 26 आंगनवाड़ी प्रोजेक्टस् हैं जो कि दिल्ली प्रशासन के अधीन हैं। 4000 के करीब कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता को 300 रुपये प्रतिमाह और सहायिका को 110/ रुपये प्रतिमाह मिलते हैं। काम करने का समय सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक का है।

कार्यकर्ता/अध्यापिका का काम है कि कम से कम 1000 परिवारों के स्वास्थ्य, पौष्टिकता, परिवार नियोजन सम्बन्धित कार्य करे और जन्म-मरण के रिकार्ड रखे व बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य का ख्याल रखे।

सहायिका का कार्य है: भोजन बनाना और उसका वितरण। साथ ही आंगनवाड़ी की सफाई और देखभाल। बच्चों को नहलाने, व धोने का काम भी सहायिका का ही है। अध्यापिका को हाईस्कूल पास या अधिक होना चाहिए।

हफ्ते में एक दिन छुट्टी व वर्ष में 20 दिन का आकस्मिक अवकाश मिलता है। एक बच्चे पर प्रसूति अवकाश पर बीमारी के लिए कोई अवकाश नहीं मिलता। दिल्ली के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की अनेक समस्याएं हैं इन्हें मान देय के नाम पर बहुत ही कम पैसा मिलता है। आठ-दस साल तक कार्य करने के बाद भी वेतन में कोई वृद्धि नहीं होती। पदोन्नति के कोई अवसर नहीं हैं और न ही चिकित्सा सुविधाएं व अन्य भत्ते ही मिलते हैं। कई जगहों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के घर से बहुत दूर होती है। जिससे उसे लम्बा सफर तय करना पड़ता है। काम समाप्त करने के लिए पांच घण्टे से अधिक का समय

देना पड़ता है।

मांगें

1. स्कूलों के अध्यापकों/सहायिकाओं के समान वेतन होना चाहिए।
2. 600 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलना चाहिए जब कत नये वेतनमान तय न हों।
3. नौकरी स्थायी हो।
4. प्रसूति अवकाश कम से कम दो बच्चों तक और अन्य अवकाश सरकारी नियमों के अनुसार मिलने चाहिएँ।
5. अन्य सुविधाएं और भत्ते भी सरकारी नियमानुसार मिलने चाहिएं।
6. प्रशिक्षण एवं पदोन्नति के अवसर दिये जाने चाहिएं।

केरल

केन्द्र सरकार की आइ. सी. डी. एस. कार्यक्रम के तहत आंगनवाड़ी केन्द्र मुख्यत देश के ग्रामीण बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल एवं पोषणयुक्त आहार की व्यवस्था संबंधी एक योजना है। जनजाति क्षेत्र के लिए प्रति 700 जनसंख्या में एक एवं अन्य इलाकों में प्रति 1000 जनसंख्या में एक आंगनवाड़ी केन्द्र है। आंगनवाड़ियों का काम है, बच्चों के लिए पोषाहार तैयार करना प्रसूतियों और बीमार औरतों की देखभाल, उन्हें शिक्षा, चिकित्सा पोषणयुक्त आहार आदि मुहैया कराना, बच्चों की देखभाल, उसे टीका लगाना और उसकी शिक्षा का व्यवस्था आदि। कार्यक्रम का उद्देश्य तो महान है और हमारी सरकार यह भी कहती है कि इस तरह का कार्यक्रम दुनिया के अन्य किसी देश में है भी नहीं, पर इस तरह के कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए भ्रष्ट तौर-तरीके को रोकना योजना के लिए काम करनेवालों को कम से कम न्यूनतम मजदूरी मुहैया कराना और उनकी समस्याओं के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रूख अपनाना और सर्वोपरि एक सच्ची राजनीतिक इच्छा का रहना सबसे जरूरी चीज है। और आज इन्हीं बुनियादी फर्ज का अभाव स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है।

देशभर में यह योजना 1975-76 में शुरू की गई,। 1986-87 तक 1480 प्रोजेक्टों को स्वीकृति मिली और इसके अलावा राज्य ने भी इसी अवधि के दौरान 179 प्रोजेक्टों को शुरू किया। इस कार्यक्रम को पूरा करने का सारा खर्च केन्द्र सरकार ग्रांट-इन-एड के रूप में उठाती है। 'यूनिसेफ' भी आइ. सी. डी. एस कार्यक्रम को विभिन्न तरह से मदद देती है। इस कार्यक्रम में प्रशिक्षण सुविधाओं का भी प्रावधान है। ग्रामीण इलाकों की गरीब महिलाएं मामूली-सी रकम पर समाज सेविका के रूप में इस कार्यक्रम के तहत नौकरी के लिए टूट पड़ी हैं। यह देश में बेरोजगारी की भयानक तस्वीर को ही उजागर करता है। गरीबी की सीमा रेखा के नीचे रह रहे इन लाखों महिलाओं की मजबूरी का फायदा उठाकर उनका शोषण करने की कांग्रेस प्रशासकों के रवैये का यह ज्वलंत प्रतिफलन भी है। इस तरह लाखों महिलाओं को असंगठित मजदूरों की कतार में ढकेलकर उन्हें शोषण का शिकार बना दिया गया है। उनके लिए कोई कानूनी सुरक्षा नहीं, मामूली-सी रकम देकर उनसे घंटों काम करने पर मजबूर किया जाता है। उन्हें न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलती और न ही उन्हें किसी तरह की अन्य सुविधाएं मिलती हैं क्योंकि सरकार के मुताबिक वह तो समाज सेविका है। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं, काम के घंटों का कोई ठिकाना नहीं, पदोन्नति का कोई अवसर नहीं—एक मामूली-सी रकम के लिए उन्हें अपने सम्मान तक को दांव में लगाना पड़ता है। इस काम के लिए जो शैक्षिक योग्यता की जरूरत है उससे अधिक योग्यता रखनेवाले इस काम पर लगीं महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या यह है कि ईंधन, राशन आदि तो तयशुदा मात्रा में मुहैया किया नहीं जाता और जो भी किया जाता है उसमें अगर कमी या वृद्धि पाई गई तो आंगनवाड़ी सेविकाओं से उस रकम का दुगना वसूला जाता है।

इस पृष्ठभूमि में कामगार महिलाओं की इस सबसे

शोषित तबके को संगठित करने की पहल सीटू ने सही वक्त पर ली है।

केरल में कुल 74 प्रोजेक्ट हैं और हर प्रोजेक्ट के अंतर्गत 100 आंगनवाड़ी केन्द्र हैं जिसमें लगभग 18,000 महिलाएं कार्यरत हैं। केरल आंगनवाड़ी सेविका तथा सहायिका एसोसिएशन की स्थापना 1979 में कालिकट में आयोजित सम्मेलन में हुई। इसमें आंगनवाड़ी महिलाओं की समस्याओं पर विचार विमर्श के बाद मानदेय राशि तथा प्रसूती अवकाश आदि समस्याओं पर आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। इसके बाद 1980 में आयोजित राज्य सम्मेलन के बाद आंदोलन के कार्यक्रम को तेज किया और राज्य व्यापी हड़ताल भी हुई। वाम जनतांत्रिक मोर्चे की सरकार सत्ता में आने के बाद इन महिलाओं की मानदेय राशि में वृद्धि हुई जो इस प्रकार है :

10 साल या उससे अधिक कार्यरत महिलाओं को	324 रु.
5 साल या उससे अधिक कार्यरत महिलाओं को	300 रु.
5 साल से कम (मैट्रिक पासों के लिए)	275रु.
(नौन-मैट्रिक पास)	250रु.
सहायिकाओं के लिए	110 रु.

इससे पहले आंगनवाड़ी सेविकाओं को 175 रु. और सहायिकाओं को 90 रु. प्रतिमाह दिया जाता था। आंगनवाड़ी महिलाओं को त्योहार बोनस के तहत प्रतिवर्ष ओणम में 100रु. भत्ता भी दिया जाता है। प्रसूति अवकाश की भी सुविधाएं इन महिलाओं को मिली हैं। अब इस मानदेय राशि में बढ़ोतरी के लिए हम ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। हमें यह विश्वास है कि केरल में वाम जनतांत्रिक मोर्चे के सत्तासीन होने के कारण ही हमारी मांगें पूरी हुई क्योंकि अपने सीमित साधनों के बावजूद यह सरकार कमजोर तबके की मदद के लिए हर सम्भव प्रयास करती है।

महाराष्ट्र

आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ का राज्य स्तरीय सम्मेलन

चंद्रपुर, आंगनवाड़ी कर्मचारी संगठन का दो दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन मराठी सिटी हाईस्कूल के प्रांगण में संपन्न हुआ। उद्घाटन राज्य कर्मचरियों के नेता श्री आर० जी० कर्णिक ने किया। पूर्व में आंगनवाड़ी महिलाओं की विशाल रैली शहर के मार्गों से घूमकर सम्मेलन स्थल पहुंची। सांसद श्री शांताराम पोटदुखे के प्रमुख अतिथ्य में हुए समारोह की अध्यक्षता भूतपूर्व सांसद श्रीमती अहिल्याबाई रागणेकर ने की।

श्रीमती रागणेकर ने शासकीय नीति में भयानक विसंगतियों तथा गलत योजनाओं से होने वाली गरीबों की बेहाली पर विस्तारपूर्वक बेबाक मार्गदर्शन किया और मात्र मानधन पर जीवन व्यतीत करने वाली आंगनवाड़ी शिक्षिका व सेविकाओं को अपनी न्यायोचित मांगों के लिए जेल जाने हेतु तैयार रहने का आह्वान किया। कर्मचारी नेता श्री कर्णिक ने आंगनवाड़ी कर्मचारियों की समस्या शासन के समक्ष प्रखरता से रखने का आश्वासन दिया। प्रमुख अतिथि सांसद श्री पोटदुखे ने आंगनवाड़ी कर्मचारियों की ज्वलंत समस्या के निराकरण में योगदान देने की बात कही। प्रारंभ में आंगनवाड़ी कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष प्रा० रमेशचंद्र दहीवाड़े ने प्रास्ताविक भाषण दिया। प्राचार्य रमेशचंद्र मूनघाटे ने भी विचार व्यक्त किये। स्वागताध्यक्ष श्री जयवंतराव मामीडवार ने अतिथियों का स्वागत कर स्वागत भाषण किया। अतिथि परिचय डा० भगवान पाटिल, संचालन श्री एस० एच० गणेश एवं आभार प्रदर्शन सम्मेलन के सचिव श्री रमेश पिपलशेंडे ने किया। इस अवसर पर प्रकाशित स्मरणिका का भी श्री कर्णिक ने विमोचन किया। विविध आयोजनों के साथ आंगनवाड़ी कर्मचारियों का सम्मेलन समाप्त हुआ।

आंगनवाड़ी महिलाओं की बैठक

सहारनपुर जिला सर्वविकास समिति के आह्वान पर आंगनवाड़ी केन्द्रों में कार्यरत 30 महिला कर्मचारियों की एक बैठक 12 मई को कन्या जूनियर हाईस्कूल, नांगल में सत्यवती की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सीटू की ओर से तिलकराज भाटिया तथा हरिहर पांडे ने बैठक में भाग लिया। बैठक ने महिला कर्मचारियों को पिछले तीन महीने से वेतन न देने, शशिकांता को पिछले दो महीने से परेशान करने और उसकी हाजरी न लगाने और प्रशिक्षिकाओं को मात्र 150 रु. वेतन देने पर गहरी चिंता व्यक्त की। बैठक ने निर्णय लिया कि प्रशिक्षिकाओं तथा सहायकों को सुपरवाइजरी स्टाफ की तरह केन्द्रीय कर्मचारी घोषित करने और उनका वेतन क्रमशः 600 रु. तथा 400 रु. करने की मांग को लेकर 10 जुलाई को अखिल भारतीय विरोध दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना दिया जायगा।

सोवियत संघ के दौरे पर सीटू प्रतिनिधिमंडल

ऑल यूनियन सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन्स् (सोवियत संघ) के आमंत्रण पर 30 सदस्यीय सीटू प्रतिनिधि मंडल ने 15 से 26 मई तक सोवियत संघ का दौरा किया। इस प्रतिनिधिमंडल में निम्नलिखित महिलाएं भी शामिल थीं :

का० एम० एम० राजम्मा	**(कर्नाटक)**
का० कृष्णाबाई	**(तमिलनाडु)**
का० ए० नाजिमुन्नीसा	**(केरल)**
का० बेनेडिट साँगा	**(उड़ीसा)**
का० गार्गी मुखर्जी	**(प० बंगाल)**
का० उर्मिला देवी	**(बिहार)**

[पृष्ठ 24 का शेष]

निकायों के पुरुष प्रतिनिधियों ने पंचायत निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण के इस प्रस्ताव का जमकर विरोध किया था।

प्रधानमंत्री को यह जान लेना चाहिए कि अपने पार्टी के पुरुष सदस्यों की महिलाओं के प्रति मानसिकता को बदले बिना महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण संबंधित कानून का कोई खास प्रभाव नहीं होगा। महिलाओं की प्रभावशाली भागीदारी के लिए महिलाओं का प्रतिनिधित्व चुनाव के आधार पर तय किया जाना चाहिए न कि नामजदगी अथवा को-ऑप्सन के आधार पर।

पंचायत निकायों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से निश्चित रूप से महिलाओं को उनके अधिकारों और अपने तथा अपने बच्चों के लिए अधिक सहूलियतें पाने के प्रति अधिक जागरूक बनाने में सहायता मिलेगी।

श्री राजीव गांधी ओर उनके कांग्रेस (ई) मंत्री महिलाओं और खास तौर पर देहाती महिलाओं के लिए अंधाधुंध आश्वासन दे रहे हैं। इनसे महिलाओं को भ्रमित नहीं होना चाहिए। महिलाएं इस बात को अच्छी तरह समझती हैं कि कांग्रेसी सरकार की करनी और कथनी में आकाश पाताल का फर्क है। महिलाएं इसका अनुभव पिछले कई वर्षों से करती आ रही हैं, इसी अनुभव ने महिलाओं को कांग्रेसी सरकार की नीतियों के खिलाफ आन्दोलन करने को प्रेरित किया। राजीव गांधी के इन लुभावने वादों से अपनी मांगों को लेकर चलाए जा रहे आंदोलन में कोई ढील नहीं आनी चाहिए। आगामी आमचुनाओं में कांग्रेस की नीतियों को शिकस्त देने के लिए हमें अपने संघर्ष और जुझारू ढंग से जारी रखने हैं।

पढ़ें

कामकाजी महिला

(हिन्दी द्विमासिक पत्रिका)

कीमत : एक प्रति : 1 रुपया

वार्षिक चन्दा : 6 रुपये

अपनी प्रतियों के लिए हमें लिखें :

सी आई टी यू 6, ताल कटोरा रोड

नई दिल्ली-110001

डब्ल्यू० एफ० टी० यू० की सभी देशों की कामकाजी महिलाओं तथा ट्रेड यूनियनों से अपील

सोफिया (बल्गारिया) में 26-28 सितम्बर 1989 से कामकाजी महिलाओं की समस्याओं पर आयोजित हो रहे पांचवें विश्व ट्रेड यूनियन सम्मेलन की तैयारी के संबंध में डब्ल्यू. एफ. टी. यू. की सभी देशों की कामकाजी महिलाओं तथा ट्रेड यूनियनों से अपील प्रस्तुत है :

सभी देशों की महिला ट्रेड यूनियनों को कामकाजी महिलाओं की समस्याओं पर आयोजित 5वें ट्रेड यूनियन सम्मेलन, जो सोफिया (बल्गारिया) में 26 से 28 सितम्बर 1989 तक आयोजित किया जा रहा है, में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

सम्मेलन का मुख्य विषय है—कामकाजी महिला तथा ट्रेड यूनियन विचारधारा और दृष्टिकोण, सामूहिक भविष्य, नई चुनौतियां तथा दायित्व। इस विषय पर एक ट्रेड यूनियन संवाद सम्मेलन की तैयारी शुरूकर दी गयी है। विगत वर्षों में कामकाजी महिलाओं की समस्याओं से संबंधित मसलों तथा मांगों, जिन्हें दसवें दशक तथा आगामी शताब्दी में रेखांकित करने की जरूरत है, विभिन्न राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय ट्रेडयूनियनों के सम्मेलन में आए विचारों तथा प्रस्तावों को संकेतिक करने की उम्मीद करता है। इस शताब्दी के अंत तक कामकाजी महिलाओं घरेलू अर्थव्यवस्था चलाने वाली यानि बिना वेतन वाली महिलाओं को छोड़कर, की संख्या दस अरब हो जायगी। पिछले एक दशक में कामकाजी महिलाओं की संख्या 14 करोड़ बढ़ गई। लेकिन इस वृद्धि का एक बड़ा हिस्सा बहुत से देशों में इस श्रेणी का है जिसके अन्तर्गत अस्थायी काम, पार्ट-टाईम काम, घरेलू काम आदि है जो भेदभाव तथा शोषण को बढ़ाते हैं। अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती साझेदारी के बिलकुल उलट, काम और घरेलू जिम्मेदारियों को मिलने वाली आवश्यक सामाजिक अधिरचना वास्तविक जरूरत से काफी पीछे है। खास तौर पर शिशु कल्याण केन्द्रों का प्रावधान, घरेलू काम को हल्का करने के लिए सेवाओं के विकास, काम के कम घंटे, सामान्य तथा तकनीकी शिक्षा एवं उच्चतर कुशलता प्राप्त करने के लिए समुचित सुविधाओं के मामले में ऐसा है।

वास्तव में उभरते विकास के चलते नई संभावना और नई सोच पर आधारित नई जीवन शैली की स्थापना का सवाल है। प्रगति की भरपूर संभावना और विश्व की बहुसंख्यक कामकाजी महिलाओं और पुरुषों की वर्तमान स्थिति के बीच आज फासला बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से नाभिकीय अस्त्रों से मुक्त तथा अहिंसक विश्व की स्थापना का सवाल फौरी है, उसी तरह वास्तविक समानता समान अवसर तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सबों को सर्वाधिक योगदान देने के लिए सब की समान अवसर तथा उसका उचित फल पाने की सुविधा देने वाली तकनीकी प्रगति के साथ कदम में कदम मिलाकर सामाजिक प्रगति को भी चलना होगा।

यह समाज का दायित्व है कि महिलाओं की तीन सामाजिक दायित्वों—मजदूर, मां और नागरिक के रूप में—के चलते बनी महिला-श्रम की विशिष्टता को पूरा सम्मान दे। इन सब के लिए महिलाओं के साथ सभी तरह के भेद-भाव हटाने, समानता तथा समान अवसर के विचारों को बनाये रखने वाले प्रतिमानों को बनाने की आवश्यकता समाज को है। यह मुख्यत: अर्थव्यवस्था, राजनैतिक तथा सामाजिक जीवन में जनतांत्रिक सिद्धांतों की स्थापना का सवाल है।

इसमें सभी देशों के ट्रेड यूनियनों द्वारा भी महिला मजदूरों को सभी प्रकार की यूनियन गतिविधियों में समान अवसर देने के सिद्धांत का पालन करना भी जरूरी है। बहुत से देशों में इन दिनों गहराती आर्थिक कठिनाइयों और संकटों, जिससे बढ़ती बेकारी का पहला शिकार महिलायें ही होती हैं, की वजह से शासनाधिकारियों में महिलाओं के लिए समानता और मुक्ति के सवाल को पीछे धकेलने की प्रवृति बढ़ी है। ऐसे रुझानों का सचेत

और प्रभावकारी ढंग से मुकाबला किया जाना चाहिए तथा इन मुद्दों को ट्रेड यूनियन मांगों की सूची में सबसे ऊपर होना चाहिए।

विगत दस वर्षों में महिलाओं द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के बारे में खास तौर से नई जागरुकता उत्पन्न हुई है। इन वर्षों में कामकाजी महिलाओं का अपने अधिकारों के लिए संघर्ष बढ़ता गया है। इनमें से कुछ संघर्षों ने महत्त्वपूर्ण सफलताएं अर्जित की हैं। फिर भी काफी कुछ करने को पड़ा है। कामकाजी महिलाओं और पुरुषों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए चल रहे इन संघर्षों का विकास ही इस कांफ्रेन्स में बहस का मुख्य मुद्दा रहेगा।

कामकाजी महिलाओं के संघर्षों के चलते बहुत से देशों के कानूनों, नियमों तथा व्यवहारों में पिछले दशक में हुए विकास ने कुछ बहुत घटिया किस्म के भेदभाव को मिटाने में सहायता की है। फिर भी सभी देशों में ऐसे कानूनों को पूरी तरह लागू करने के लिए निरंतर संघर्ष की आवश्यकता है और रहेगी।

सोफिया कान्फ्रेंस पिछले चौथे विश्व कांफ्रेंस में पारित आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा ट्रेड यूनियन अधिकारों के घोषणा पत्र को अद्यतन बनायेगा।

कान्फ्रेंस की सफलता शुरुआती दौर तथा कार्यकारी सेशन के दौरान इन तथा अन्य मुद्दों पर होने वाला सक्रिय बहस पर निर्भर करेगी। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन तथा कामकाजी महिलाओं की समस्याओं, पुरुषों तथा ट्रेड यूनियनों से इन प्रयासों को समर्थन देने, कांफ्रेंस में प्रतिनिधि भेजने तथा इसे विश्व ट्रेड यूनियन सहयोग और संयुक्त कार्यवाही का वास्तविक पंच बनाने के लिए गर्मजोशी से अपील करते हैं। □

समाज कल्याण केंद्रों की कामगार महिलाओं का संघर्ष

दिल्ली प्रशासन द्वारा संचालित समाज कल्याण केंद्रों में कार्यरत कामगार महिलाएं वेतन में बढ़ोतरी, पेंशन योजना लागू करने तथा नियमित किये जाने जैसी अपनी लंबे अर्से से चली आ रही मांगों को लेकर, केंद्रीय गृहमंत्री बूटासिंह के घर के सामने अनिश्चितकालीन, क्रमिक भूख हड़ताल तथा धरने पर बैठी थीं। उनके संघर्ष को पूर्ण समर्थन देते हुए सीटू सचिव विमल रणदिवे ने निष्ठुर उपेक्षा का रुख अपनाने के लिए केंद्र सरकार तथा दिल्ली प्रशासन की कड़े शब्दों में निंदा की है।

इस सिलसिले में 7 अप्रैल को दिल्ली से जारी बयान में सीटू सचिव ने कहा है कि 300 से ज्यादा शरणार्थी महिलाएं, दिल्ली प्रशासन द्वारा संचालित 18 समाज कल्याण केंद्रों में बहुत ही कम पीसरेट मजदूरी पर काम कर रही हैं। जो 250 रु० महीना से कम बैठती है। और इतनी आय भी, 1983 में हुई अनिश्चितकालीन हड़ताल के बाद ही सम्भव हुई है। याद रहे कि सरकार ने, पाकिस्तान से आयीं शरणार्थी विधवाओं के पुनर्वास के लिए ये केन्द्र खोले थे और इन केन्द्रों में काम करने वाली महिलाओं के प्रतिनिधि संगठन, समाज कल्याण महिला कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों को बार-बार आश्वासन भी दिये गए थे। इसके बावजूद इन कामगार महिलाओं की हालत सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाये गये हैं उल्टे दिल्ली प्रशासन ने इन केन्द्रों को दूर-दराज के इलाकों में ले जाने का फैसला लिया है, जिससे महिलाओं को और ज्याद कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

दिल्ली प्रशासन द्वारा, कोई ध्यान न दिये जाने पर सी॰ पी. आइ (एम) सांसदगण विभाघोष गोस्वामी तथा सुरेश कुरुप के नेतृत्व में, यूनियन के एक प्रतिनिधि मंडल ने 30 अगस्त 1988 को केन्द्रीय गृहमंत्री बूटासिंह से मुलाकात की थी। गृह मंत्री ने इस मामले में हस्तक्षेप करने का वादा किया था, ताकि इन कामगार महिलाओं की आय बढ़कर कम से कम 300 रुपये प्रतिमाह हो सके। लेकिन केन्द्रीय गृहमंत्री का वादा भी झूठा साबित हुआ। इस बीच, दिल्ली प्रशासन ने अपना हमला और तेज कर दिया है और जिन कर्मचारियों को अब तक इन केन्द्रों में सिली हुई वर्दी दी जाती थी, उन्हें अब सीधे वर्दी का कपड़ा देने का आदेश दिया है।

इनके चलते, इन केन्द्रों में कार्यरत शरणार्थी महिलाओं को अपनी मांगों को लेकर दवाब डालने के लिए अनिश्चितकालीन क्रमिक भूख हड़ताल का सहारा लेना पड़ा है। सीटू ने इस संघर्ष को अपना पूर्ण समर्थन देते हुए दिल्ली प्रशासन से आग्रह किया है कि कामगार महिलाओं की मांगों का फौरन निपटारा किया जाय। □

ग्रामीण महिलाओं को भरमाने की कांग्रेस (ई) की चाल

नई दिल्ली में 3 से 5 मई तक आयोजित पंचायती महिला प्रतिनिधियों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री राजीवगांधी ने पंचायत में महिलाओं के लिए 30 फीसदी आरक्षण का लुभावना वादा किया है। राजीव गांधी ने अपनी डफली अपना राग के तर्ज पर आगे कहा, "यदि इसका क्रियान्वयन हुआ तो सरकार दो साल के भीतर इसे बढ़ाकर पचास फीसदी आरक्षण की व्यवस्था करेगी।" सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने पंचायत राज्य व्यवस्था में महिलाओं की गैर भागीदारी की स्थिति पर घड़ियाली आंसू बहाते हुए कहा, "महिलाओं को पंचायती राज्य व्यवस्था में अभी शामिल किया जाना है।" उन्होंने सुझाया कि महिलाओं को केवल मूक दर्शक के तौर पर इसमें अपनी भागीदारी नहीं निभानी चाहिए बल्कि उन्हें अपने अधिकार जताते हुए अधिक सक्रिय रहना चाहिए। उन्होंने महिलाओं को केवल कठपुतली बनने से चेताया। प्रधानमंत्री की सलाह निश्चित रूप से बहुत उत्तम है। लेकिन महामहीम प्रधानमंत्री जी महिलाओं को यह शिक्षा देते हुए यह क्यों भूल गए कि जब महिलाएं 'महिला' के रूप में अपने अधिकार जताने की कोशिश करती हैं, तब कांग्रेसी सरकार उनपर लाठियां बरसाती है तथा उन्हें गिरफ्तार कर जेल में ठूंस देती है।

महिलाएं जानती हैं कि राष्ट्रीय भविष्य योजना (एन पी. पी.), पंचायत में महिलाओं के लिए तीस फीसदी आरक्षण, 35 लाख बेसहारा महिलाओं को 60 रूपये वाली साड़ियों का बटवारा, लाखों बच्चों के लिए एक रु० मूल्य का दोपहर का भोजन इत्यादि के ये तमाम कार्यक्रम दर-असल कांग्रेस (ई) के चुनावी कार्यक्रम हैं। पंचायत में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की हर ईमानदार कोशिशों का स्वागत निश्चित तौर पर किया जाना चाहिए लेकिन महज चुनाव जीतने के लिए तैयार किए गए बनावटी कार्यक्रमों का स्वागत नहीं किया जा सकता।

सही है कि यह सम्मेलन प्रतिनिधियों से अच्छा खासा भरा पड़ा था। रिपोर्ट के मुताबिक विभिन्न राज्यों से 800 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। इन्होंने पंचायती राज के कार्यकलापों पर अपने विचार रखे। कुछ प्रतिनिधियों ने कहा कि कई वर्षों से पंचायत निकायों के लिए चुनाव नहीं हुए हैं। पंजाब की एक प्रतिनिधि ने इस गंभीर राजनीतिक हालात में पंचायत चुनाव का विरोध किया। अनेक प्रतिनिधियों ने सलाह दी कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के संचालन का जिम्मा पंचायतों को सौंपा जाए। अनेक ने शिकायत की कि उन्हें इस बैठक में केवल 'कोरम' पूरा करने के उद्देश्य से बुलाया गया है। अनेक औरतों को प्रस्ताव पर दस्तखत करने के लिए लाया गया। कुछ ने महिलाओं और बच्चों के लिए वित्त की कमी की शिकायत रखी। श्रीमती कैलाशवती की शिकायत थी कि इन स्थानीय निकायों में महिलाओं को काम करने नहीं दिया जाता है।

एक प्रतिनिधि ने यह कहने का साहस दिखाया कि यदि किसी बैठक में महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता तो इसमें पारित किसी भी प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया जाना चाहिए। एक प्रतिनिधि ने कहा कि समन्वित बाल विकास योजना जैसे कार्यक्रमों को महिलाओं के जिम्मे सौंपा जाए तथा इनका क्रियान्वयन पंचायत करे।

प्राप्त रिपोर्ट से पता चलता है कि महिला प्रतिनिधियों ने अनेक सही मुद्दे उठाए। अगर कांग्रेसी नेता गांवों में पंचायत के क्रियान्वयन के लिए वास्तव में गंभीर हैं तब उन्हें इन पर ध्यान देना चाहिए।

यह तथ्य है कि केरल और पश्चिम बंगाल को छोड़कर अन्य राज्यों में पंचायती व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी नाममात्र की है। पश्चिम बंगाल में महिलाएं गांवों की समस्याओं से संबंधित सभी मामले में हस्तक्षेप करती हैं। जबकि कांग्रेस शासित दूसरे राज्यों में महिलाओं को नीची निगाह से देखा जाता है और उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाता। प्रतिनिधियों के बीच हुई बहस के दौरान यह मुद्दा भी सामने आया।

बहस के दौरान यह बात भी सामने आई कि सरकार द्वारा कुछ समय पूर्व पंचायती राज सम्मेलन में पंचायत

[शेष पृष्ठ 21 पर]